रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 1990 (पौष 16, 1911)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 1990 (PAUSA 16, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	—
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को निकालने वाली अनुपूरक	—

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. 1

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . .

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs 1

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 1

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi *

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1989

सं० 102-प्रेज/89—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वीर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक (सं० डी-57)
पुलिस चौकी, सनलाइट कालोनी,
नई दिल्ली।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6 नवम्बर, 1988 को सांय लगभग 7.25 बजे पुलिस चौकी, सनलाइट कालोनी में सूचना प्राप्त हुई कि मकान सं० डी-9, कालिन्दी कालोनी में 6 सशस्त्र डकैत उपस्थित हैं। उप-निरीक्षक वीर सिंह, एक कान्स्टेबल के साथ तत्काल कालिन्दी कालोनी की ओर रवाना हुए और कुमुक के लिए संदेश छोड़ गए। उसके बाद श्रीनिवासपुरी के थानाध्यक्ष एक उप-निरीक्षक तथा तीन कान्स्टेबलों सहित उक्त स्थान पर पहुंचे। उन्होंने मकान को घेर लिया तथा डाकुओं को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा। उनमें से जोगिन्दर सिंह नामक एक डाकू, जो गिरोह का लीडर था, पूर्व की तरफ से शीघ्र बाहर निकला, जहां उप-निरीक्षक वीर सिंह और एक कान्स्टेबल तैनात थे और उसने .315 बोर के देसी रिवाल्वर से श्री वीर सिंह पर गोलियां चलाई। श्री वीर सिंह ने सूझ-बूझ के साथ नीचे झुककर अपने आप को बचा लिया। इसी दौरान अग्नेयास्त्रों तथा चाकुओं से लैस चार-पांच अन्य डाकू मकान से बाहर निकले और उन्होंने भागने की कोशिश की। श्री वीर सिंह ने डाकुओं का पीछा करना शुरू किया और अपने रिवाल्वर से दो बार गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप जोगिन्दर सिंह नामक एक डाकू गोलियों से घायल होकर मुख्य निकास द्वार के पास गिर गया। घायल डाकू ने चेतावनी दी कि जो भी उसे पकड़ने की कोशिश करेगा वह उसे मार डालेगा। परन्तु श्री वीर सिंह ने निर्भय होकर एक कान्स्टेबल की सहायता से डाकू जोगिन्दर सिंह को काबू में कर लिया।

दो अन्य डाकुओं, अर्थात् हंसराज और जगदीश को भी दूसरे उप-निरीक्षक तथा कान्स्टेबल द्वारा लाठी का वार करके काबू में कर लिया गया। उनमें से एक डाकू अर्थात् विजय कुमार अपने हाथ में रिवाल्वर लेकर यमुना नदी की तरफ भागा। परन्तु श्री वीर सिंह तथा थानाध्यक्ष, श्रीनिवासपुरी और एक कान्स्टेबल ने लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर उसे दबोच लिया। शेष दो-तीन डाकू मकान की पिछली चार-दीवारी को पार करके भाग गए। श्री वीर सिंह, शेष डाकुओं को तीन दिन के रिकार्ड समय में गिरफ्तार करने में भी सफल हुए और उन्होंने कई लाख रुपए की चुराई गई समस्त सम्पत्ति को भी बरामद किया।

इस घटना में श्री वीर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत तलवार भी दिनांक 6 नवम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 103-प्रेज/89—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री बलबीर कुमार बावा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
तलवंडी साबो,
पंजाब।

श्री कुलवन्त सिंह,
हैड कान्स्टेबल (सं० 924/बी० टी० ए०)
भटिन्डा,
पंजाब।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 जुलाई, 1988 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि मकान सं० एच-81, सिविल स्टेशन भटिन्डा, में संदिग्ध आतंकवादी उपस्थित हैं, श्री बलबीर कुमार बावा, पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने 6.00 बजे सांय उस घर को घेर लिया। थाना रामा के थानेदार, निरीक्षक बलबीर सिंह, जो उक्त पुलिस दल के सदस्य थे, ने मकान के सामने स्वयं मोर्चा सम्भाला और पुलिस उप-अधीक्षक, बलबीर कुमार बावा और हैड कान्स्टेबल कुलवन्त सिंह ने मकान के पिछवाड़े का मोर्चा संभाला। वहां पुलिस दल की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर संदिग्ध आतंकवादी मकान के पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर निकला और श्री बलबीर कुमार बावा और कुलवन्त सिंह पर 9 एम० एम० पिस्तौल से गोलियां चलायी, जिससे श्री बावा की बाहिनी जांघ जख्मी हो गई और श्री कुलवन्त सिंह का पुट्ठा (हिप) जख्मी हो गया और आतंकवादी भाग गया। दोनों जख्मी अधिकारियों ने लगभग 200 मीटर तक आतंकवादी का पीछा किया। आतंकवादी पुलिस अधिकारियों पर लगातार गोली चलाता रहा और पुलिस अधिकारियों ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलायी। पुलिस बल द्वारा गोलियां चलाई जाने के परिणामस्वरूप आतंकवादी गोली लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा और मर गया। बाद में उसकी शिनाख्त गांव बावा, थाना रामा के बलजीत सिंह के रूप में की गई। मृत आतंकवादी से एक 9 एम० एम० की पिस्तौल और तीन राउण्ड की मैगजीन बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री बलबीर कुमार बावा, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री कुलवन्त सिंह हैड कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत तलवार भी दिनांक 24 जुलाई, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 104-प्रेज/89—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री खियां राम,
पुलिस अधीक्षक,
जिला चान्देल,
मणिपुर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22 मार्च, 1989 को मध्यरात्रि के 0030 बजे गांव क्रिस्ट्यन, जिला चान्देल, में विघटनकारियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर श्री खियां राम, पुलिस अधीक्षक ने 18 पुलिस कार्मिकों का एक छापामार दल गठित किया और विघटनकारियों के छिपने के स्थान पर छापा मारने के लिए रवाना हुए। उन्होंने छापामार दल को तीन समूहों में विभाजित किया, जिनमें से दो ने गांव को घेर लिया तथा तीसरी दल श्री खियां राम के नेतृत्व में उस मकान की तरफ बढ़ा जहां संदिग्ध विघटनकारी छिपे हुए थे। वहां पहुंचने पर पुलिस दल ने घर को अन्दर से बन्द पाया। श्री खियां राम ने पांच पुलिस कार्मिकों को घर की निगरानी करने के लिए तैनात किया ताकि छिपे हुए विघटनकारियों में से कोई निकलकर भाग न सके। उन्होंने स्वयं मकान में घुसने के लिए घर के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। इस दौरान मकान के भीतर से विघटनकारियों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने तुरन्त स्थिति संभाली और अपने रिवाल्वर से जवाब में तीन गोलियां चलाई और गोलाबारी को शांत कर दिया तथा मकान के अन्दर कूद गए। अपने निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए, उन्होंने उस सशस्त्र विघटनकारी से हाथापाई की, जो कमरे में से गोलियां चला रहा था और विघटनकारी को पकड़ने तथा निहत्था करने में सफल हुए। पकड़ा गया विघटनकारी जख्मी हालत में था। घटनास्थल से एक भरा हुआ विदेशी पिस्तौल तथा तीन सक्रिय राउण्ड तथा तीन चले हुए खोल बरामद हुए। विघटनकारी को अस्पताल ले जाया गया जहां घावों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। विघटनकारी की बाद में शिनाख्त होने पर मालूम हुआ कि वह एक कुख्यात कट्टर नागा विघटनकारी फोरिंग अगास उर्फ रार्वट था जिसका हत्या, लूटपाट और अपहरण इत्यादि जैसे अनेक जघन्य अपराधों में हाथ था।

इस मुठभेड़ में श्री खियां राम, पुलिस अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 मार्च, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 105-प्रेज/89—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री एस० एन० मोरे, (मरणोपरान्त)
नायक संख्या—17087,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री एस० बी० राने,
कान्स्टेबल संख्या—5075
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

9 जनवरी, 1988 को लगभग 7.00 बजे शाम को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त निजाम कादरी, गांव माले सोपारा, जिला थाने में छिपा हुआ है। सी० आई० डी० बम्बई के अपराध शाखा का एक खोजी पुलिस दल, जिसमें तीन उप-निरीक्षक, एक हैड कान्स्टेबल नायक एस० एन० मोरे और कान्स्टेबल एस० बी० राने थे, एक पुलिस जीप में अभियुक्त को गिरफ्तार करने निकला। पुलिस दल सादे कपड़ों में था और अभियुक्त की शिनाख्त करने के लिए दो मुखबिर और सैयद इस्माईल, पुलिस हिरासत में रखा गया एक अपराधी, को अपने साथ ले गया।

लगभग 11.00 बजे रात्रि को गांव में पहुंचने पर यह योजना बनाई गई कि नायक एस० एन० मोरे और कान्स्टेबल एस० बी० राने, मुखबिरों के साथ पैदल मकान की तरफ जाएंगे, जिनके पीछे उचित दूरी पर पुलिस दल के दो अन्य कार्मिक जाएंगे और शेष पुलिस कार्मिक थोड़ी दूरी पर प्रतीक्षा करेंगे। मुखबिरों को निर्देश दिए गए कि यदि अभियुक्त चाल के कमरे में उपलब्ध हो तो वे उस बारे में संकेत करें।

मुखबिरों ने दरवाजे पर दस्तक दी और यह पुष्टि कर लेने पर कि अभियुक्त अंदर है, उन्होंने बाहर से कहा कि वे यह संदेश लेकर आए हैं कि अभियुक्त की मां गम्भीर रूप से बीमार है और वे उनके साथ रेलवे स्टेशन चलें। गिरफ्तारी के खतरे को भांपते हुए अभियुक्त, पार्टी की उम्मीद के खिलाफ, अपने हाथ में गुप्ती लेकर अचानक कमरे से बाहर आया और उसने एक मुखबिर पर आक्रमण करने की कोशिश की। इस समय नायक मोरे ने हस्तक्षेप किया और अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की और उसे मुखबिरों पर आक्रमण करने से रोका। इस पर उत्तेजित अभियुक्त ने गुप्ती से नायक मोरे पर प्रहार किया। यह देखने पर कान्स्टेबल राने अभियुक्त के साथ भिड़ गए लेकिन अभियुक्त ने उस पर भी गुप्ती से प्रहार किया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। यह पूरी घटना इतने कम समय में हुई कि मुखबिर अन्य पुलिस कार्मिकों को संकेत नहीं कर सके, जिसके कारण वे मदद के लिए नहीं आ सके। अभियुक्त का पीछा करने के लिए उनके द्वारा पूरी कोशिश किए जाने के बावजूद वह अंधेरे में नजदीक की झाड़ियों में गायब हो गया।

श्री एस० एन० मोरे और श्री एस० बी० राने को तुरन्त स्थानीय सरकारी डिसपेन्सरी ले जाया गया और वहां से चिकित्सा के लिए सरकारी चिकित्सालय वासेन भेजा गया किन्तु इससे पहले कि नायक मोरे को उचित चिकित्सा दी जा सके उन्होंने दम तोड़ दिया।

इस घटना में श्री एस० एन० मोरे, नायक और एस० बी० राने, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जनवरी 1988 से दिया जाएगा।

सं० 106-प्रेज/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री जे० एस० रावत,
पुलिस उप-निरीक्षक
12वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री पी० जी० गयाली,
कान्स्टेबल संख्या—831270328,
12वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 अप्रैल, 1988 को लगभग सायं 5.30 बजे श्री जे० एस० रावत, पुलिस उप-निरीक्षक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच करने का निर्णय लिया। वह कान्स्टेबल पी० जी० गयाली, कान्स्टेबल ड्राईवर पी० थोंगापाथी तथा तीन अन्य कार्मिकों सहित जांच करने के लिए निकल गए। गांव काकचे की जांच करने के बाद, पुलिस दल गांव खिलखियां की

ओर बढ़ा तो रास्ते में एक फार्म-हाऊस के निकट उन्होंने तीन सिख युवकों को संदिग्ध अवस्था में पड़े देखा। श्री रावत ने ड्राईवर को वाहन रोकने का निर्देश दिया। जैसे ही जीप की रफ्तार कम हुई उनमें से एक सिख युवक ने ए० के०-47 चीनी एसाल्ट राईफल निकाली और जीप पर गोली चलायी। हालात को शीघ्रता से भांपते हुए श्री थांगापाण्डी जीप को आगे ले गए और इस प्रकार गोली की पहुंच से बाहर ले आए। यद्यपि, जीप के पिछले बाएं हिस्से में गोलियां लगी और जीप की बाडी से तीन गोलियां आर-पार हो गई, परन्तु जीप में बैठा कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। गोली चलने के बाद आतंकवादी फार्म हाउस के पीछे खेतों की ओर भाग गए। आतंकवादियों के हमले से विचलित न होकर श्री रावत जीप से बाहर कूद पड़े और अपने अन्य कार्मिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। भागते हुए आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे। लगभग 500 गज तक आतंकवादियों का पीछा करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो श्री रावत ने अपनी रणनीति बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने पुलिस दल को दो ग्रुपों में विभाजित किया। एक लांस नायक के नेतृत्व में, कान्स्टेबल पी० जी० गवाली और कान्स्टेबल ड्राईवर पी० थांगापाण्डी सहित एक ग्रुप को दाहिने किनारे से जाकर आतंकवादियों को व्यस्त रखने का निर्देश दिया। श्री रावत के नेतृत्व में अन्य शेष कार्मिकों के दूसरे ग्रुप ने आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा।

खुले मैदान में दाईं तरफ से जाना वास्तव में एक बड़े खतरे का कार्य था क्योंकि वे किसी भी समय आसानी से आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन सकते थे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी अपने साथियों के साथ खुले मैदान से होते हुए दाईं ओर से आगे बढ़े। आतंकवादियों ने उनको देखते ही उन पर गोलियां चला दीं परन्तु सौभाग्यवश कोई भी घायल नहीं हुआ। श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी लगभग 100 गज की दूरी तक रेंगते हुए आतंकवादियों के संदिग्ध छिपने के स्थान पर पहुंचे। गेहूं के खेत में कुछ हलचल देखकर श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी ने उस ओर गोली चला दी। परिणामस्वरूप, एक आतंकवादी को छिपने के स्थान से मजबूरन उठना पड़ा। आतंकवादी ने श्री रावत की ओर तुरन्त एक धमाका किया परन्तु वे सुरक्षित बच निकले। श्री रावत ने जवाब में आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे घटना स्थल पर ही मार दिया। आतंकवादी को गिरते हुए देखकर दूसरे आतंकवादी ने जो कि मृत आतंकवादी के निकट छिपा हुआ था, मृत आतंकवादी की ए० के०-47 एसाल्ट राईफल को लेने का भरसक प्रयास किया, परन्तु श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी ने आतंकवादी पर एक साथ गोलीबारी कर उस कोशिश को बेकार कर दिया। इससे आतंकवादी पूरी तरह घबरा गया और अपनी थाम्पसन कार्बाईन और ग्रेण्डोलियर को फेंक दिया और घने बागों की ओर भागकर बच निकला। तीसरा आतंकवादी भी भागकर बच निकलने में सफल हो गया। मृत आतंकवादी की बाद में सैदपुर का सरवन सिंह के रूप में पहचान की गई जिसकी कई हत्या/चोरी के मामलों में तलाश थी।

इस मुठभेड़ में श्री जे० एस० रावत, पुलिस उप-निरीक्षक और श्री पी० जी० गवाली, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 107-प्रेस/89—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पी० थांगापाण्डी,
कान्स्टेबल/ड्राईवर संख्या-771130409,
12वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेनाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

2 अप्रैल, 1988 को लगभग सांय 5.30 बजे श्री जे० एस० रावत, पुलिस उप-निरीक्षक ने ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच करने का निर्णय लिया। वह कान्स्टेबल पी० जी० गवाली, कान्स्टेबल/ड्राईवर पी० थांगापाण्डी तथा तीन अन्य कार्मिकों सहित जांच करने के लिए निकल पड़े। गांव कालके की जांच करने के बाद, पुलिस दल गांव खिलचियां की ओर बढ़ा तो रास्ते में एक फार्म-हाऊस के निकट उन्होंने तीन सिख युवकों को संदिग्ध अवस्था में खड़े देखा। श्री रावत ने ड्राईवर को वाहन रोकने का निर्देश दिया। जैसे ही जीप की रफ्तार कम हुई, उनमें से एक सिख युवक ने ए० के०-47 चीनी एसाल्ट राईफल निकाली और जीप पर गोली चलायी। हालात को शीघ्रता से भांपते हुए श्री थांगापाण्डी जीप को आगे ले गए और इस प्रकार गोली की पहुंच से बाहर ले आए। यद्यपि, जीप के पिछले बाएं हिस्से में गोलियां लगी और जीप की बाडी से तीन गोलियां आर-पार हो गई, परन्तु जीप में बैठा कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। गोली चलाने के बाद आतंकवादी फार्म-हाऊस के पीछे खेतों की ओर भाग गए। आतंकवादियों के हमले से विचलित न होकर श्री रावत जीप से बाहर कूद पड़े और अपने अन्य कार्मिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। भागते हुए आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे। लगभग 500 गज तक आतंकवादियों का पीछा करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो श्री रावत ने अपनी रण-नीति बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने पुलिस दल को दो ग्रुपों में विभाजित किया। एक लांस नायक के नेतृत्व में, कान्स्टेबल पी० जी० गवाली और कान्स्टेबल ड्राईवर पी० थांगापाण्डी सहित एक ग्रुप को दाहिने किनारे से जाकर आतंकवादियों को व्यस्त रखने का निर्देश दिया। श्री रावत के नेतृत्व में अन्य शेष कार्मिकों के दूसरे ग्रुप ने आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा।

खुले मैदान में दाईं तरफ से जाना वास्तव में एक बड़े खतरे का कार्य था क्योंकि वे किसी भी समय आसानी से आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन सकते थे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी अपने साथियों के साथ खुले मैदान से होते हुए दाईं ओर से आगे बढ़े। आतंकवादियों ने उनको देखते ही उन पर गोलियां चला दीं परन्तु सौभाग्यवश कोई भी घायल नहीं हुआ। श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी लगभग 100 गज की दूरी तक रेंगते हुए आतंकवादियों के संदिग्ध छिपने के स्थान पर पहुंचे। गेहूं के खेत में कुछ हलचल देखकर श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी ने उस ओर गोली चला दी। परिणामस्वरूप, एक आतंकवादी को छिपने के स्थान से मजबूरन उठना पड़ा। आतंकवादी ने श्री रावत की ओर तुरन्त एक धमाका किया परन्तु वे सुरक्षित बच निकले। श्री रावत ने जवाब में आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे घटना स्थल पर ही मार दिया। आतंकवादी को गिरते हुए देखकर दूसरे आतंकवादी ने, जो कि मृत आतंकवादी के निकट छिपा हुआ था, मृत आतंकवादी की ए० के०-47 एसाल्ट राईफल को लेने का भरसक प्रयास किया, परन्तु श्री गवाली और श्री थांगापाण्डी ने आतंकवादी पर एक साथ गोलाबारी कर उस कोशिश को बेकार कर दिया। इससे आतंकवादी पूरी तरह घबरा गया और अपनी थाम्पसन कार्बाईन और ग्रैण्डोलियर को फेंक दिया और घने बागों की ओर भाग कर बच निकला। तीसरा आतंकवादी भी भाग कर बच निकलने में सफल हो गया। मृत आतंकवादी की बाद में सैदपुर का सरवन सिंह के रूप में पहचान की गई जिसकी कई हत्या/चोरी के मामलों में तलाश थी।

इस मुठभेड़ में श्री पी० थांगापाण्डी, कान्स्टेबल ड्राईवर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अप्रैल, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 108-प्रेज/89—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री के० सी० राजेन्द्र,
कान्स्टेबल (सं० 85102666),
17वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री जगदीश नारंग,
कान्स्टेबल (सं० 86001952),
17वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

1 मई, 1988 को लगभग प्रातः 4.30 बजे एक दल, जिसमें एक उपनिरीक्षक, एक लांस नायक, 7 कान्स्टेबल (श्री जगदीश नारंग और श्री के० सी० राजेन्द्र, कान्स्टेबलों सहित) शामिल थे, पंजाब पुलिस के एक हैड कान्स्टेबल तथा बी० एच० जी० के एक कान्स्टेबल सहित एक नामी आश्रयदाता भगवन्त सिंह के घर पर छापा मारने के लिए मुथीवाला गांव की ओर रवाना हुआ।

जब छापामार दल भगवन्त सिंह के घर के नजदीक पुल्ले पर पहुंचा तो घर में छिपे आतंकवादी वाहनों की आवाज और प्रकाश से सतर्क हो गए। पुलिस दल ने लगभग 300 गज की दूरी से तीन उग्रवादियों को घर की दीवार से कूदकर नाले की ओर भागते हुए देखा। छापामार दल 4 और 6 के दो समूहों में बट गया और उसने घर के दोनों तरफ से उग्रवादियों का पीछा किया। इस पर उग्रवादियों ने गोली चलानी शुरू कर दी और इसके बावजूद छापामार दल ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा।

एक उग्रवादी ने नाले की दूसरी ओर से मोर्चा लिया और छापामार दल को परे रखने के लिए उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। कान्स्टेबल राजेन्द्र और कान्स्टेबल जगदीश नारंग गोलियों का सामना अत्यधिक वीरता के साथ करते हुए उनका पीछा करते रहे और नाले के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। कान्स्टेबल राजेन्द्र ने उग्रवादियों पर गोलियां दागीं और उनमें से एक उग्रवादी नीचे गिरा और उसने मरने का बहाना किया। परन्तु कुछ ही समय बाद वह उठ खड़ा हुआ और उसने पुलिस दल पर गोली चलाते हुए फिर भागना शुरू कर दिया। उसके बाद कान्स्टेबल राजेन्द्र और कान्स्टेबल नारंग ने भागते हुए उग्रवादियों पर कारगर गोलाबारी की और एक को मारने तथा दूसरे को घायल करने में सफल हो गए। बाद में मृत उग्रवादी की शिनाख्त होने पर पता चला कि वह महताब सिंह था। इस बीच भगवन्त सिंह और दूसरा उग्रवादी भागने में सफल हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री के० सी० राजेन्द्र, कान्स्टेबल तथा श्री जगदीश नारंग, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 मई, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 109-प्रेज-89—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहिन्दर पाल (मरणोपरान्त)
स्वीपर सं० 88677340
102वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सीमा सुरक्षा बल के श्री मोहिन्दर पाल, स्वीपर, की सीमा सुरक्षा बल, क्षेत्रीय मुख्यालय, फिरोजपुर में 102वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल भीखीविन्द को तैनाती के आदेश हो चुके थे। 25 सितम्बर, 1988 को लगभग सायं 4.30 बजे श्री मोहिन्दर पाल अमृतसर से पंजाब रोडवेज की बस में चढ़े। जब बस छिवाखाल पुलिया के पास पहुंची तो कुहार के कारण बस धीमी हो गई। अचानक पांच उग्रवादी हथियारों के साथ सड़क पर आए, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। उन्होंने बस रोकने का संकेत दिया। उन पांच उग्रवादियों में से एक उग्रवादी ने चालक क्षेत्र पर निगरानी रखी एक ने बस के ड्राईवर के दाहिने अंग पर राईफल की नाल रखी, एक बस के दरवाजे के नजदीक खड़ा हो गया और अन्य बस के आगे के दरवाजे से अन्दर दाखिल हुए और गैर-सिख यात्रियों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा। चूंकि मोहिन्दर पाल भी उस बस में एक गैर-सिख यात्री था, अतः उग्रवादियों ने उससे भी बस से नीचे उतरने के लिए कहा। श्री मोहिन्दर पाल ने उनसे कहा कि वह सीमा सुरक्षा बल का सिपाही है और बस से नहीं उतरेगा। इस पर उग्रवादियों ने मोहिन्दर पाल पर बस से नीचे उतरने के लिए दबाव डाला लेकिन उन्होंने फिर भी बस से उतरने से मना किया। जब उग्रवादी मोहिन्दर पाल को बस से उतरने के लिए मजबूर कर रहे थे तो वे एक उग्रवादी पर झपट पड़े और उसकी राईफल पकड़ ली। उग्रवादियों के साथ हुई इस हाथापाई में मोहिन्दर पाल उग्रवादियों द्वारा मारा गया।

जब यह सब कुछ चल रहा था तो बस चालक ने बस चला दी और भीखीविन्द की तरफ तेजी से बस ले गया। यदि मोहिन्दर पाल उग्रवादियों के साथ झड़प नहीं करते तो उग्रवादी अनेक व्यक्तियों को मार देते। इस प्रकार श्री मोहिन्दर पाल ने अन्य यात्रियों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया।

इस मुठभेड़ में श्री मोहिन्दर पाल, स्वीपर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 सितम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 110-प्रेज-89—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा के बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री जगजीत सिंह,
नायक सं० 68466129,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री अजायब सिंह,
लांस नायक सं० 71243048,
24वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

11 जुलाई, 1988 को सीमा सुरक्षा बल, 24वीं बटालियन के कमांडेंट को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आतंकवादियों ने टांडा उरमुर के नजदीक दो पेट्रोल पम्पों और एक चाय के खोमचे-एवं-ढाबे पर शरण ले रखी है। 11/12 जुलाई, 1988 की मध्य रात्रि को नायक जगजीत सिंह और लांस नायक अजायब सिंह के नेतृत्व में 5 अन्य सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के एक विशेष दल ने जालंधर और पठानकोट को जोड़ने वाली जी० टी० रोड़ पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए नाकाबन्दी की।

लगभग रात्रि के 2.10 बजे (12 जुलाई, 1988) नाकाबन्दी दल ने एक बैलगाड़ी को सड़क पर आते देखा। जब नायक जगजीत सिंह बैलगाड़ी के ड्राईवर तथा उसमें भरे हुए सामान के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो उन्होंने दो व्यक्तियों को संदेहास्पद स्थिति में बैलगाड़ी की आड़ में भागने की कोशिश करते हुए देखा। नायक जगजीत सिंह ने संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारा और उन्हें अपने हाथ खड़े करने तथा अपनी पहचान बताने के लिए आगे आने को कहा। उससे सही उत्तर न मिलने पर श्री जगजीत सिंह के

मन में संदेह पैदा हो गया और उन्होंने अपने साथियों को उन्हें दबोचने का आदेश दिया। आदेश सुनने पर दोनों संदिग्ध व्यक्ति अपने पीछे एक बंडल छोड़कर सड़क से ऊबड़-खाबड़ मैदान में कूद पड़े। श्री अजायब सिंह उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे भागते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे तो उन पर आतंकवादियों ने गोली चला दी। तथापि वे बच गए। इस पर श्री जगजीत सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर उग्रवादियों पर गोली दागनी शुरू कर दी। इतने में अपराधियों ने पास के धान के खेतों की ओर भागना शुरू कर दिया। श्री जगजीत सिंह ने श्री अजायब सिंह और दल को उनका पीछा करने का आदेश दिया और वे दल के शेष व्यक्तियों के साथ अपराधियों को घेरने के लिए धान के खेतों के समानान्तर रेलवे पटरी के साथ-साथ भागे। जब श्री अजायब सिंह और उनका दल समस्त आतंकवादियों के लगभग नजदीक पहुंचा तो उन पर आतंकवादियों ने दुबारा गोली चलानी शुरू कर दी। परन्तु श्री अजायब सिंह के टार्च की तेज रोशनी से अपराधियों की आंखें चुंधिया गई जिसके कारण वे ठीक निशाना नहीं लगा सके। श्री अजायब सिंह तथा श्री जगजीत सिंह ने उग्रवादियों पर तुरन्त गोली चला दी जिससे उनमें से एक उग्रवादी मारा गया। बाद में मृत उग्रवादी की शिनाख्त होने पर मालूम हुआ कि वह सुखदेव सिंह उर्फ लाभ सिंह उर्फ सुखा सिपाही था जो अनेक जघन्य अपराधों में अंतर्ग्रस्त था। तथापि, अन्य उग्रवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री जगजीत सिंह, नायक तथा श्री अजायब सिंह, लांस नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जुलाई, 1988 से दिया जाएगा।

सं० III-पेज/89—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री गुलाब सिंह,
उप-निरीक्षक संख्या 66100222,
प्रथम बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री विजय सिंह, (मरणोपरान्त)
हैड कान्स्टेबल संख्या 660102942,
प्रथम बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री राम सूरत सिंह,
कान्स्टेबल संख्या 8616097,
प्रथम बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री राजिन्दर पाल,
कान्स्टेबल संख्या 79010004,
प्रथम बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 दिसम्बर, 1987 को लगभग रात के 8.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादियों ने सागरपुरा गांव के एक फार्म हाऊस में शरण ली हुई है। हैड कान्स्टेबल विजय सिंह, कान्स्टेबल राम सूरत सिंह, कान्स्टेबल राजिन्दर पाल तथा 8 अन्य कार्मिकों सहित उप-निरीक्षक गुलाब सिंह के नेतृत्व में एक विशेष गश्ती दल खोज तथा घात लगाने के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर पुलिस दल दो यूथों में बंट गया। एक यूथ का नेतृत्व, हैड कान्स्टेबल विजय सिंह द्वारा किया गया, जिसमें कान्स्टेबल राम सूरत सिंह तथा 4 अन्य कार्मिक थे। कान्स्टेबल राजिन्दर पाल तथा 4 अन्य कार्मिकों सहित उप-निरीक्षक गुलाब सिंह के नेतृत्व वाले दूसरे समूह ने आतंकवादियों की खोज करने तथा उन्हें फार्म हाऊस से बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली।

रात को लगभग 8.30 बजे जब पुलिस दल फार्म हाऊस पर घेरा डालने के लिए उसके निकट आए तो एक बदमाश ने, जिसे संभवतः आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया था, हल्ला करके सबको सावधान कर दिया। इस प्रकार फार्म हाऊस के निवासियों ने बिजली की रोशनी बन्द कर दी और पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद हैड कान्स्टेबल विजय सिंह अपने आदमियों सहित, जिनमें कान्स्टेबल राम सूरत सिंह भी थे, आगे बढ़े और फार्म हाऊस को घेरने में सफल हो गए। परन्तु फार्म हाऊस के अन्दर महिलाएं और बच्चे होने के कारण घेराबंदी दल कुछ नहीं कर सका। अंधेरा होने के कारण घेराबंदी दल को प्रतिकारात्मक गोली चलाने के लिए आतंकवादियों की गोली चलने से उत्पन्न चमक के सहारे दिशा लेनी पड़ी। ज्योंही हैड कान्स्टेबल, विजय सिंह आतंकवादियों को काबू करने के लिए उन पर कारगर ढंग से गोली चलाने हेतु अनुकूल स्थान पर मोर्चा संभालने के लिए आगे बढ़े तो आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। हैड कान्स्टेबल विजय सिंह की मृत्यु के बाद आतंकवादियों के बचकर भागने के रास्ते को बंद करने की जिम्मेदारी कान्स्टेबल राम सूरत सिंह पर आ गई। वे भारी गोलाबारी के बीच रेंगते हुए अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाने में सफल हुए।

जब पहले दल ने फार्म हाऊस पर घेरा डाल दिया तो कान्स्टेबल राजिन्दर पाल और श्री गुलाब सिंह गोलियों की बौछार में रेंगते हुए गए और फार्म हाऊस के एक साइड के कमरे में प्रवेश करने में सफल हो गए। श्री गुलाब सिंह ने एक-एक कमरे में जाकर तलाशी शुरू कर दी। दोनों ओर से भारी दबाव होने के कारण आतंकवादियों के पास अपनी जान पर खेल कर वहां से भागने के अलावा और कोई विकल्प न था। ऐसा करने में खतरनाक आतंकवादी तथा गिरोह का नेता अवतार सिंह रूपावली और उसका आश्रय दाता तारा सिंह मारे गए। अंधेरे में श्री गुलाब सिंह ने घर की दीवार के साथ-साथ एक काली सी आकृति को छिपे-छिपे जाते हुए देखा। वह चुपके से आगे बढ़े और उन्होंने एक व्यक्ति को दबोच लिया, जो आतंकवादी अवतार सिंह रूपावली की पत्नी कंवलजीत कौर थी, जिसके पास .32 बोर रिवाल्वर था।

इस मुठभेड़ में श्री गुलाब सिंह, उप-निरीक्षक, श्री विजय सिंह, हैड कान्स्टेबल, श्री राम सूरत सिंह, कान्स्टेबल तथा श्री राजेन्दर पाल सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 दिसम्बर, 1987 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1989

सं० ए-11013/6/89-प्रशा०-I—दिनांक 26 अप्रैल, 1989 के समसंख्यक संकल्प द्वारा स्थापित आर्थिक नीति संबंधी समिति को इस के द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 दिसम्बर 1989

सं० यू०–13019/ 2/ 89–जी० पी०––इस मंत्रालय की दिनांक 21–6–1983 की अधिसूचना सं० 13019/1/83–जी० पी०–I में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि दादर और नगर हवेली के लिए गृह मंत्री से सम्बद्ध सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :––

(क) प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र

(ख) संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य

(ग) दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के सभी पार्षद

(घ) प्रदेश परिषद द्वारा चुने जाने वाले चार गैर–सरकारी सदस्य इनमें कम से कम दो सदस्य अनुसूचित जन जाति के होंगे

(ङ) मद (घ) के अनुसार गृह मंत्री की सलाहकार समिति में यदि किसी महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो एक महिला सदस्य को मनोनीत किया जाएगा ।

3. गृह मंत्री की सलाहकार समिति के लिए अन्य शर्तें अपरिवर्तनीय हैं ।

प्रकाश चन्द्र, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 1989

संकल्प

सं० म० वि०वि०/6/7/88– हिन्दी––विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए सुझाव के अनुसरण में, भारत सरकार, महासागर विकास विभाग ने समुद्र विज्ञान तथा इस विभाग से संबंधित इस विज्ञान के सम्बद्ध विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से पुस्तकें लिखने को बढ़ावा देने के लिए, उन पुस्तकों के लेखकों को, नकद पुरस्कार देने के लिए एक योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है । इस योजना की मुख्य–मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :––

1. योजना का नाम : इस योजना का नाम "महासागर विकास विभाग पुरस्कार योजना" होगा ।

2. योजना का उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य समुद्र विज्ञान तथा इससे सहायक विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करना है । इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समुद्र विज्ञान से संबंधित विषय नीचे दिए गए हैं :––

(1) समुद्र के जीव तथा अजीव संसाधन;

(2) गहरे समुद्र–संस्तर से बहुधात्विक ग्रंथिकाएं;

(3) अंटार्कटिक अनुसंधान;

(4) समुद्री पर्यावरण––प्रदूषण नियंत्रण;

(5) तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल तथा सामुद्रिक ऊष्मा ऊर्जा रूपान्तरण तथा

(6) समुद्र विज्ञान से संबंधित कोई अन्य विद्या ।

3. पुरस्कार का मूल्य

इस योजना के अधीन हिन्दी में मूल पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :––

प्रथम पुरस्कार.....रु० 15,000/–

द्वितीय पुरस्कार.....रु० 10,000/–

तृतीय पुरस्कार.....रु० 5,000/–

4. मुख्य विशेषताएं :

4.1 इस योजना का संचालन महासागर विकास विभाग द्वारा किया जाएगा ।

4.2 पुरस्कार वर्ष 1989 से आरम्भ होंगे और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे । महासागर विकास विभाग पुरस्कारों के लिए लेखकों के आवेदन–पत्र हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करके आमंत्रित करेगा ।

4.3 लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म में भरकर संयुक्त सचिव (प्रशासन), महासागर विकास विभाग, महासागर भवन, ब्लाक–12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को भेजेंगे । लेखकों द्वारा अपने आवेदन–पत्रों के साथ अपनी पाण्डुलिपियां/प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियां अपेक्षित संख्या में भेजनी होंगी ।

5. योजना में भाग लेने के लिए पात्रता

5.1 महासागर विकास विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

5.2 इस योजना में प्रकाशित तथा पाण्डुलिपियां दोनों पर विचार किया जाएगा ।

5.3 पाठ्य पुस्तकों, अर्थात सभी पुस्तकें जिन्हें विशिष्ट रूप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा ।

5.4 जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार (कापीराइट) बना रहेगा ।

5.5 जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । लेखकों को आवेदन पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रंथ अथवा पांडुलिपि की साफ टाइप की गई प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी । साफ टाइप न की गई प्रतियों को अस्वीकार किया जा सकता है ।

5.6 महासागर विकास विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एक मात्र अधिकार होगा।

5.7 जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उनको पुरस्कार के वर्ष से पिछले 3 वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।

5.8 पांडुलिपियों को इस प्रतियोगिता योजना के लिए उसी सूरत में पुरस्कार प्रदान किया जायेगा यदि उनके साथ लेखक की यह लिखित बचनबद्धता आती है कि अगर उसकी पांडुलिपि को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की सूचना मिलने के 6 मास के भीतर इसका प्रकाशन कर दिया जायेगा। पुरस्कार की राशि पुस्तक के प्रकाशन के बाद दी जाएगी।

5.9 जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।

5.10 हरेक लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

6. साधारण शर्तें

6.1 यदि पुरस्कार पाने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।

6.2 यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है।

6.3 पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

6.4 यह पुरस्कार हर कलैण्डर वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी कलैण्डर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

7. मूल्यांकन समिति

7.1 पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों/पांडुलिपियों का चयन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी।

7.2 इस मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य होंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सह-योजित किया जा सकेगा।

7.3 मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति महासागर विकास विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल कर सकता है। इस प्रकार शामिल किए गए विशेषज्ञों की हैसियत केवल सलाहकार की होगी।

7.4 यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा। मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकर होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

7.5 इस समिति का कार्य काल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा। मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा-निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

7.6 मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा/दैनिक भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

8. अन्य बातें.

मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :—

8.1 जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो।

8.2 जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो।

8.3 जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गयी पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो।

8.4 जिसे प्रतियोगी ने मूल रूप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में न लिखा हो।

8.5 जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी काम-काज के एक भाग के रूप में लिखा हो।

8.6 जो लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रूप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी काम-काज के एक भाग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखाया अथवा प्रकाशित कराया हो, तथा

8.7 जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गयी पुस्तक न हो।

9. योजना में संशोधन का अधिकार

महासागर विकास विभाग को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों और समाचार अभिकरणों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० सुधीर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आशुलिपिक सेवा ग्रेड "ब" परीक्षा 1990 के लिए नियम

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 1990

सं० 10/10/89-के० से० (II)—निम्नलिखित सेवाओं/पदों (और ऐसी अन्य सेवाओं/पदों को जिन्हें आयोग द्वारा विज्ञापन में आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय शामिल किया जाए) में अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से 1990 में कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "ब"

(2) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "ब"

(3) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "ब"

(4) भारतीय विदेश सेवा "ख" के संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड-III

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग

(6) अन्य दूसरे विभाग/कार्यालय जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है।

आयोग द्वारा उपर्युक्त सेवाओं/पदों के संबंध में उम्मीदवारों से वरीयता उस समय मांगी जाएगी जब वे अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे । फिर भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा की तारीख से पहले एक बार वरीयता क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं ।

2. इस परीक्षा का संचालन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विहित विधि से किया जाएगा।

किन तारीखों को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसका निर्धारण आयोग करेगा।

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग (अपंग तथा आंशिक रूप से नेत्रहीन) व्यक्तियों के रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण निदेशों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा।

(1) जो भूतपूर्व सैनिक सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा का समय कम करने की अनुज्ञा दे दी जाएगी तथा ऐसी परिणामी आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में बैठने की जिन उम्मीदवारों को अनुमति दी गई है वे उन सभी रिक्तियों के लिए चाहे वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हों अथवा नहीं, परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे।

भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने योद्धा अथवा गैर-योद्धा के रूप में संघ की नियमित सेवा, नौसेना तथा वायुसेना में किसी भी रैंक में सेवा की है तथा

(1) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन लेने के बाद सेवा निवृत्त हुआ है या

(2) जिसे ऐसी सेवा से, सैनिक सेवा अथवा किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मैडिकल आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो तथा मैडिकल अथवा अन्य कोई अयोग्यता पेंशन दी गई हो।

(3) जिसे अपने अनुरोध के सिवाए किसी और कारण, संस्थापना के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो, या

(4) जिसे अपने कार्य की किसी विशेष अवधि तक पूरा करने के बाद उसके निजी अनुरोध के सिवाए किसी और कारण से अथवा कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त अथवा पदच्युत करके सेवामुक्त कर दिया गया हो और उपदान दिया गया हो तथा जो निम्नलिखित श्रेणियों की प्रादेशिक सेना के कार्मिकों में शामिल हो अर्थात् :—

(1) निरन्तर एम्बाडिड सेवा पेंशन पाने वाले,

(2) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक रूप से अयोग्य हुए व्यक्ति, और

(3) बहादुरी के खिताब विजेता।

नोट-1 : जो भूतपूर्व सैनिक अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों के रूप में लाभ प्राप्त करने के बाद पहले से ही सिविल सरकारी सेवा में आ गए हैं वे आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे।

नोट-2 : पैरा 3(1) के प्रयोजन से सैन्य बल में एक भूतपूर्व सैनिक की काल अप सर्विस की अवधि को सैन्य बलों की सेवा के रूप में माना जाएगा।

नोट-3 : संघ की सीमों सशस्त्र सेनाओं के किसी सैनिक को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक भूतपूर्व सैनिक मानने के प्रयोजन से उसने पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय भूतपूर्व सैनिक का सार पहले ही प्राप्त किया हो और अथवा वह किसी सक्षम प्राधिकारी से लिखित साक्ष्य द्वारा अपनी हकदारी के लिए यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि उसे अपनी नौकरी की एक साल की निश्चित अवधि पूरी हो जाने के बाद सशस्त्र सेनाओं से सेवामुक्त कर दिया जाएगा। (इसके लिए परीक्षा की तारीख संगत नहीं है) ।

(ii) अपंग तथा आंशिक रूप से नेत्रहीन (पैरा 3 में यथा-निर्दिष्ट) से ऐसा विकलांग व्यक्ति अभिप्रेत है जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाता है। अपंग व्यक्तियों को सहायक देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट :—आंशिक रूप से अंधे उम्मीदवारों के लिए अलग से एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(iii) अनुसूचित जाति/जन जाति से अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जिसका निम्नलिखित में उल्लेख किया गया है—संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित किया गया है, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978।

4. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का रहने वाला हो, या

(ग) भूटान का निवासी हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत मे स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार) से पूर्व अफ्रीकी देशो जाम्बिया मलावी जायरे इथोपिया और वियतनाम से आया हो ।

आगे यह कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख),(ग), (घ) तथा (ङ) का कोई उम्मीदवार वही व्यक्ति होगा जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो । इससे आगे यह कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख),(ग) और (घ) का कोई व्यक्ति भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशु-लिपिक सवर्ग का (ग्रेड-III) मे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) किसी उम्मीदवार को, जिसके मामले मे पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा मे बैठने दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जाएगा जबकि, जिस पद पर उम्मीदवार के नियुक्त किए जाने की संभावना है, उस पद के प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उम्मीदवार को आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया गया हो ।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की आयु 1—1—1990 को न 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1965 से पहले और 1 जनवरी, 1972 के बाद नहीं हुआ हो ।

(ख) उन व्यक्तियो के संबंध मे ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा मे भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न विभागो/कार्यालयो मे स्थायी रूप मे आशु-लिपिकों (जिसमे भाषा आशुलिपिक/लिपिक/आशु टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक शामिल हैं) के रूप से नियुक्त किया गया है और जिहोने आशुलिपिकों के रूप मे (भाषा आशुलिपिक, लिपिक/आशु—टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक भी शामिल हैं) 1 जनवरी 1990 तक दो साल से कम सेवा न की हो और अभी भी वे इसी तरह नियुक्त हो ।

(ग) उपरिलिखित सभी मामलो मे ऊपरी आयु सीमा मे निम्न-लिखित और छूट होगी —

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि मे उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि मे उसने भारत मे प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि में उसने भारत मे प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) का वास्त-विक विस्थापित व्यक्ति हो तथा 1 जनवरी 1971 और 31 मार्च 1973 के बीच की अवधि में उसने भारत मे प्रव्रजन किया हो, तो अधिक मे अधिक 8 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या भविष्य में प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, या प्रव्रजन करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या भविष्य में प्रत्या-वर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मालावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यार्पणित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्या-वर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों मे फौजी कार्यवाहियो को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिको के मामले मे अधिकतम 3 वर्ष तक,

(12) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाको मे फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों मामले मे अधिकतम 8 वर्ष तक,

(13) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियो में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिको के मामलो में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(14) 1971 में हुए भारत पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिको के मामलो मे अधिकतम 8 वर्ष तक जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियो के हों,

(15) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम मे भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(16) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो, अधिक से अधिक 10 वर्ष, और

(17) ऐसी विधवाओ, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियो से अलग हुई महिलाओ के मामले में जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओ के लिए 40 वर्ष तक) तक ।

(18) ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम छह वर्ष तक की छूट उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो सामान्यतः 1-1-80 से 15-8-85 तक की अवधि में असम राज्य में रहे हों। यह छूट (क) सामान्यतः उम्मीदवार जिस जिले में रहा हो उसके जिला मजिस्ट्रेट से अथवा (ख) असम सरकार द्वारा इस संबंध में नामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

(19) जिन विभागीय उम्मीदवारों ने 5-2-1990 को कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा कर ली है उन्हें 1-1-90 को 40 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष) की आयु तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी बशर्ते कि वे ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं जो उसी लाइन अथवा संबद्ध संवर्गों के हैं तथा जहां यह सापेक्षता निश्चित की जा सकती है कि विभाग में की गई सेवा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/74-स्था० (च) दिनांक 20-7-76, 35014/4/70-स्था० (च) दिनांक 24-10-85 तथा 15012/1/88-स्था० (च) दिनांक 20-5-88 के अनुसार अन्य वर्गीकृत पदों में ड्यूटियों के कुशल निष्पादन के लिए लाभप्रद होगी।

(20) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1990 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) जो कदाचार या अक्षमता या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं। (इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1990 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(21) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 1990 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और (i) जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं, जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 1990 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(22) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने पहली जनवरी, 1990 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण-पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष।

(23) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने पहली जनवरी, 1990 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष।

टिप्पणी:—भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाएं प्राप्त करके पहले से ही सिविल क्षेत्र में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं वे उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(ग) (xx) और 5(ग) (xxi) के अधीन आयु सीमा में छूट पाने के पात्र नहीं हैं।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है। भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों तथा आश्रितों को तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को आयु रियायत अनुज्ञेय नहीं है।

ध्यान दें : (i) जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5 (ख) में उल्लिखित आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग पत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती तो वह पात्र बना रहेगा।

ध्यान दें : (ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक, लिपिक आशु-/टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक सहित) जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानांतरित किया गया था, यदि वह अन्यथा पात्र है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

6 उम्मीदवारों ने केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद हाई स्कूल परीक्षा का या कोई और ऐसा प्रमाण पत्र हो जिसे उस राज्य की सरकार/भारत सरकार द्वारा नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना गया हो।

नोट 1—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

नोट 2—आपवादिक परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकती है, जिसके पास उपर्युक्त नियम में निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो बशर्ते कि उम्मीदवार के पास कोई ऐसी अर्हता हो जिसका स्तर सरकार के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

7. जिस व्यक्ति ने—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

8. जो उम्मीदवार स्थायी अथवा अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में पहले से हो वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से आयोग को एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजना होगा।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी : अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में, रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के नोटिस के अंतर्गत शुल्क की छूट दी गई है, उनको छोड़कर सभी उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क देना होगा।

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से नाम बदल कर परीक्षा दिलाई है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे विवरण दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(11) परीक्षा देने की अनुमति वाले प्रवेश पत्र के साथ उम्मीदवारों को जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अनुचित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

15. उम्मीदवारों का चयन : परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अंग्रेजी आशुलिपिकों अथवा हिन्दी आशुलिपिकों जैसा भी मामला हो के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त समझेगा, उनकी इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक सिफारिश की जाएगी।

इन नियमों में दिए गए अन्य उपबंधों के अध्ययन, परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए व्यक्त की गई अग्रताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

परन्तु यदि शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों अथवा भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां इन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरी जा सकती हों, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी बशर्ते कि वे उपयुक्त हों।

परन्तु यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन, दूसरे वर्गों के उम्मीदवारों के साथ स्तर में छूट दिए बिना ही उनकी अपनी योग्यता के आधार पर किया गया है, तो उनका सामायोजन रिक्तियों के आरक्षित हिस्से के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को अलग से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों में से उन उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा, जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही होते हैं और जिनका स्थान योग्यता सूची में अंतिम उम्मीदवार से नीचे है, परन्तु जिन्हें, अन्यथा योग्यता स्तर में छूट देकर भी नियुक्ति के लिए उपर्युक्त पाया जाता है, द्वारा भरा जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरी जा सकती हों, तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान हो सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी बशर्ते कि वे उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों।

16. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा फल के संबंध में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

17 उम्मीदवार के चरित्र तथा पूर्ववृत्त की आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

18. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जा रही है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट--II में दिए गए हैं।

डा॰ रविन्द्र सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट—I

परीक्षा की योजना :— -परीक्षा के दो भाग होंगे अर्थात : —

भाग—I : लिखित परीक्षा

भाग—II . आशुलिपि परीक्षा

भाग—1 : लिखित परीक्षा :—परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक और पाठ्य विवरण तथा स्तर निम्न प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक		दिया गया समय
(1) भाषा परीक्षा	100	200	दो घण्टे
(2) सामान्य जागरूकता	100		

दोनों ही उक्त विषयों से संबंधित केवल एक पेपर होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों को दोनों ही विषयों को, अलग–अलग रूप से, पास करना अनिवार्य होगा। आयोग को किसी एक विषय या दोनों ही विषयों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने की पूर्ण छूट होगी। केवल वही उम्मीदवार आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए विचारण के पात्र होंगे जो दोनों ही विषयों में अर्हता प्राप्त करेंगे।

स्तर तथा पाठ्यविवरण:—प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

भाषा परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी) : इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न होंगे जिससे कि उम्मीदवार के हिन्दी/अंग्रेजी भाषा तथा इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समर्थक तथा विरोधार्थक आदि से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। परिच्छेद को समझने के संबंध में भी प्रश्न होंगे।

सामान्य जागरूकता :—इसमें प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे जिससे कि उम्मीदवार की, उसके आसपास घटने वाली घटनाओं तथा समाज में उसकी प्रासंगिकता के संबंध में, सामान्य जागरूकता संबंधी योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें ऐसे भी प्रश्न रखे जाएंगे जिससे कि उम्मीदवार की, वर्तमान घटनाक्रम और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली तथा उनके वैज्ञानिक पहलुओं की बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए, ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। इस परीक्षा में भारत तथा इसके पड़ौसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, सामान्य नीति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—II

300 अंक

हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा

(लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए)

आशुलिपि परीक्षा के बारे में ब्यौरे इस प्रकार होंगे :—

आशुलिपि परीक्षा की योजना .

उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए एक श्रुतलेख की परीक्षा देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 65 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 75 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा।

1 उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी।

2. जो उम्मीदवार हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी और जो उम्मीदवार अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी।

परिशिष्ट—II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के लिए भर्ती की जा रही है, उससे संबंधित संक्षिप्त ब्यौरे

क केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा।

ख. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड "क" और "ख" (सविलयत)	रु० 2000–60–2300–द० रो०–75–3200–100–3500
ग्रेड "ग"	रु० 1400–40–1600–50–2300–द० रो०–60–2600।
ग्रेड "घ"	रु० 1200–30–1560–द० रो०–40–2040।

रु० 3000–100–3500–द० रो०–125–4500 के वेतनमान में एक नया संवर्ग बनाए जाने से संबंधित प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

2. उक्त सेवा के ग्रेड "घ" में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने आवश्यक हैं तथा ऐसी परीक्षाएं पास करनी आवश्यक हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित जाएं।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

5. सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा:

(क) (I) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में फिलहाल निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड-क : } रु०
ग्रेड-ख : } 2000–60–2300–द० रो०–75–3200–100–3500 का एकीकृत ग्रेड।

ग्रेड-ग : रु० 1400–40–1600–50–2300–द० रो०–60–2600।

ग्रेड घ . रु० 1200–30–1560–द० रो०–40–2040।

(II) उक्त सेवा के ग्रेड घ में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी

परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

(III) उक्त सेवा के ग्रेड ख में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरण नहीं होता है ।

(ग) इस नियमों के अधीन भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन लाभ के पात्र होंगे तथा

(ii) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधी में अभिदान करेंगे ।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पास और विशेषाधिकार टिकट आदेश का हकदार होगा ।

(ङ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ से, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों में शामिल होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा ।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड–III इस समय भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड/ग्रेड

रु० 2000–60–2300–रु० रो०–75–3200–100–3500 ग्रेड II

ग्रेड II

रु० 1400–40–1600–50–2300–रु० रो०–60–2600 ।

ग्रेड–III

रु० 1200–30–1560–रु० रो०–40–2040 ।

2. सेवा के ग्रेड–3 में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने तथा ऐसी परीक्षायें पास करनी आवश्यक हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायें । परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का भी कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक पाया जाए तो उस स्थिति में या तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार द्वारा यथोचित समय के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है ।

3. भारतीय विदेश सेवा "ख" में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को मुख्यालयों भारत में किसी भी स्थान पर अथवा विदेश में जिस पद पर भी नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तैनात किया जाए, पदों पर सेवा करनी होंगी ।

4. विदेश सेवा के दौरान भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को संबंधित देशों की जीवन–निर्वाह लागत आदि पर आधारित, समय समय पर मंजूर की जाने वाली दरों पर उनके मूल वेतन के अतिरिक्त विदेश भत्ता मंजूर किया जाता है । इसके अतिरिक्त, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० एस०) नियमावली, 1961 के अनुसार, विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :–

(1) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास,

(2) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं;

(3) सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट भारत में किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी जैसी आकस्मिक स्थिति में भारत में आने और विदेश में अपने वैतनी के स्थान पर वापिस जाने के लिए अधिकारियों की पूरी सेवा के दौरान उन्हें अधिकतम दो बार हवाई यात्रा टिकट;

(4) कुछ शर्तों के अध्यधीन छुट्टियों के दौरान माता–पिता को मिलने के लिए भारत में पढ़ाई कर रहे 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को वार्षिक वापसी हवाई यात्रा टिकट;

(5) अधिकारियों की विदेश में नियुक्ति के स्थान में पढ़ाई कर रहे 5 से 18 वर्ष तक की आयु के भीतर के अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय कुछ शर्तों के अध्यधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है,

(6) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विदेश में नियुक्ति के लिए सज्जा (आउटफिट) भत्ता ।

(7) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को स्वदेश छुट्टी यात्रा भत्ता ।

घ. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ।

विद्यमान स्थिति के अनुसार, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में पदों को भरने की पद्धति सहित, चार ग्रेड निम्नानुसार है :—

ग्रेड	वेतनमान	पद्धति
आशुलिपिक ग्रेड "क"	रु० 650–1200 यथासंशोधित 2000–3500	ग्रेड "ख" आशुलिपिकों की पदोन्नति द्वारा
आशुलिपिक ग्रेड "ख"	रु० 650–1040 यथासंशोधित 2000–3500	5 प्रतिशत तक ग्रेड "ग" आशुलिपिकों की पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपि ग्रेड "ग" की पदोन्नति द्वारा ।
आशुलिपिक ग्रेड "ग"	रु० 425–800 यथासंशोधित 1400–2600	25 प्रतिशत आशुलिपिक ग्रेड "घ" की पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "घ" की पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के उम्मीदवारों द्वारा ।
आशुलिपिक ग्रेड "घ"	रु० 330–560 यथासंशोधित रु० 1200–2040	सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के सदस्यों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जिसके न होने पर, सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति द्वारा ।

टिप्पणी : चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने आशुलिपिक ग्रेड "क" और आशुलिपिक ग्रेड "ख" को रु० 2000–3500 के संशोधित वेतनमान में सम्मिलित कर दिया है और 3000–4500 के वेतनमान में आशुलिपिक के अतिरिक्त पदों का सृजन किया है । सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की पुनरीक्षा विचाराधीन है) ।

2. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने तथा परीक्षाएं पास करनी आवश्यक हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं ।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार यथोचित समय के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि को आगे बढ़ा सकती है।

4 सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्तियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्त: सेवा संगठनों तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा योजना के अंतर्गत शामिल कार्यालयो में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर भी उन्हें भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है।

5 सेवा के ग्रेड "घ" मे भर्ती किए गए व्यक्ति, इस संबंध मे समय-समय पर लागू नियमो के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के पात्र होंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1989

संकल्प

सं० 312/36/89-एफ (पी) —इस मंत्रालय दिनांक 10-2-1987 के संकल्प संख्या 314/3/86-एफ (पी) तथा दिनांक 6-6-1986 के पी संख्या 301/10/85-एफ(पी) का अतिक्रमण करते हुए फिल्म प्रभाग की वृत्तचित्र फिल्म खरीद समिति मूल्य निर्धारण समिति तथा टेंडर समिति का तत्काल प्रभाव से इस प्रकार गठन किया जाता है :—

2. वृत्त चित्र फि० खरीद समिति :

सरकारी सदस्य (सात) :

(1) संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष
(2) मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग —सदस्य
(3) दूरदर्शन महानिदेशक, दूरदर्शन या उनका नामिती —सदस्य
(4) निदेशक (प्रशासन), फिल्म प्रभाग —सदस्य
(5) महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम —सदस्य
(6) उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
(7) अतिरिक वित्तीय सलाहकार, फिल्म प्रभाग —सदस्य सचिव

गैर-सरकारी सदस्य (छः) :

खरीद समिति के अध्यक्ष समिति के विचार-विमर्श सहायता के लिए समिति की बैठकों में नीचे उल्लिखित 11 सरकारी सदस्यों में से किन्हीं छः सदस्यों को सहयोजित करेंगे :-

(1) श्री एम० वी० कृष्णास्वामी, बंगलौर
(2) श्री जी० अरविन्दन, त्रिवेन्द्रम
(3) श्री निशीथ बनर्जी, कलकत्ता
(4) श्री विजय चटर्जी, कलकत्ता
(5) श्री भूपेन हजारिका, कलकत्ता।
(6) श्री ओंकार पटेल बम्बई
(7) श्री गिरीश कर्नाड, बम्बई
(8) श्री श्याम बेनेगल, बम्बई
(9) श्री प्रकाश झा, बम्बई
(10) श्री एन० वी० के० मूर्ति, पूणे
(11) डा० (श्रीमती) सरयू दोषी बम्बई।

3. समिति निजी निर्माताओं और अन्य एजेंसियों से वृत्तचित्रों की खरीद के लिए या निजी निर्माताओं से वृत्त चित्रों को भेंट स्वरूप देने के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा समय-समय पर प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच करेगी। समिति इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर फिल्मों की गुणवत्ता सामान्य प्रचार के लिए उनकी उपयुक्तता और इस प्रकार के अन्य संबंधित मानदंडों के आधार पर विचार करेगी और यह सलाह देगी कि क्या फिल्म प्रभाग को विचाराधीन फिल्म, लेनी चाहिए या नहीं। समिति वृत्तचित्रों की खरीद से संबंधित सामान्य स्वरूप के मामलों पर भी विचार कर सकती है और फिल्म प्रभाग को अपनी सलाह दे सकती है।

4. समिति की सिफारिशें बहुमत के अनुसार होंगी बशर्ते कि कम से कम एक सरकारी सदस्य भी बहुमत का हो। समिति की सिफारिशों को सामान्यता फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकार किया जाएगा। समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार करेगी। समिति को सचिवालीय सहायता फिल्म प्रभाग द्वारा उपलब्ध की जाएगी।

5. (क) समिति के सरकारी सदस्य अपने पद की हैसियत से समिति के सदस्य बने रहेंगे। गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष का या सामान्य कार्यकाल के दौरान या बाद में सरकार द्वारा बदले जाने तक रहेगा।

(ख) किसी भी कारणवश गैर सरकारी सदस्यों की अनुपस्थिति में, प्रस्तावों पर विचार और सिफारिशें समिति के सरकारी सदस्यों द्वारा दी जाएगी।

(ग) गैर-सरकारी सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे किन्तु वे नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों के पात्र होंगे। गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान एस० आर० 190 और सरकार द्वारा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा। सरकारी सदस्य अपना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, जो नियमों के अन्तर्गत उनको देय हो, उस स्रोत से लेंगे जिससे वे अपना वेतन लेते हैं।

6. समिति द्वारा दी गई और फिल्म प्रभाग द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिश के विरुद्ध अपील सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस प्रकार के निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

7. कीमत निर्धारण समिति :

(1) संयुक्त सचिव (फिल्म,) सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष
(2) मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग —सदस्य
(3) निदेशक (वित्त) सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
(4) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, फिल्म प्रभाग —सदस्य

समिति, वृत्त चित्र फिल्म क्रय समिति की सिफारिश पर या सरकार के आदेश पर फिल्म प्रभाग द्वारा प्राप्त की जाने वाली वृत्त चित्र फिल्मों के क्रय मूल्य का निर्धारित करेगी। समिति, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा जब कभी भी अनुरोध किया जायेगा उनके लिए फिल्मों के प्रिन्टों के खरीद मूल्य का भी निर्धारण करेगी।

8 टेंडर समिति :

सरकारी सदस्य (आठ) :

(1) संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष
(2) मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग —सदस्य
(3) उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —सदस्य
(4) उप मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग —सदस्य
(5) निर्माता, (बाहरी निर्माण) —सदस्य
(6) आंतरिक वित्त सलाहकार, फिल्म प्रभाग —सदस्य
(7) उप निदेशक (लागत), फिल्म प्रभाग —सदस्य
(8) सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संबंधित) —सदस्य

गैर सरकारी सदस्य (दो) :

टेंडरों की जांच करने और फिल्मों के निर्माण के लिए टेंडर समिति की बैठकों में नीचे दिए गए छः गैर सरकारी सदस्यों में से टेंडर समिति का अध्यक्ष किन्हीं दो को सहयोजित करेगा।):—

(1) श्री एन० वी० के० मूर्ति
(2) श्री के० एल० खाडपुर
(3) श्री जी० डी० अग्रवाल
(4) सिद्धार्थ काक
(5) श्री फली बिलिमोरिया
(6) डा० मुकेश बत्रा

9. बाहरी निर्माताओं से टेंडर/कोटेशन मंगवाने के लिए आमंत्रण पत्र फिल्म प्रभाग द्वारा संयुक्त चित्र (फिल्म) की पूर्वानुमति के बाद जारी किए जाएंगे।

10. समी अर्थात् तीनों समितियों के मुख्यालय बम्बई में होंगे।

11. उपर्युक्त समितियों में से किसी भी समिति की किसी भी बैठक में अध्यक्ष के उपस्थित होने की स्थिति में उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त बैठकों में भाग लेंगे ऐसी स्थिति में बैठक/बैठकें मुख्य प्रोड्यूसर फिल्म प्रभाग द्वारा आयोजित की जायेंगी। बैठक/बैठकें, की कार्यवाहियां मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग द्वारा संयुक्त सचिव (फिल्म) को सूचनार्थ भेजी जाएंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम० एस० शर्मा, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th December 1989

No. 102-Pres 89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police :—

Name and rank of officer

Shri Bir Singh,
Sub-Inspector of Police (No D-57),
Police Post Sunlight Colony,
New Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 6th November, 1988, at about 7.25 P.M., information about the presence of six armed dacoits in House No. D-9, Kalindi Colony, was received at Police Post Sunlight Colony. Sub-Inspector Bir Singh, alongwith one Constable, rushed to Kalindi Colony and left the message for re-inforcements. Later Station House Officer, Srinivaspuri alongwith one Sub-Inspector and three Constables, also reached at the spot. They cordoned the house and challenged the dacoits to surrender. One of the dacoits viz. Joginder Singh, leader of the gang, rushed out from the eastern side where Sub-Inspector Bir Singh alongwith one Constable was posted and fired at Shri Bir Singh with a 315 country made revolver. Shri Bir Singh, showed presence of mind, ducked down and escaped unhurt. In the meantime, other 4/5 dacoits armed with fire-arms and knives rushed out of the house and tried to escape. Shri Bir Singh started chasing the dacoits and fired twice from his revolver, with the result one of the dacoits Joginder Singh was hit by the bullet and fell down near the main exit gate. The injured dacoit warned that he would kill anyone, who would try to catch him but Shri Bir Singh remained undeterred and with the help of a Constable over-powered dacoit Joginder Singh.

The other two dacoits viz., Hans Raj and Jadish were overpowered by the other Sub-Inspector and Constable by giving lathiblows. One of the dacoits viz. Vijay Kumar with a revolver in his hand ran towards the Yamuna River but was over-powered at a distance of about 100-150 Metre

by Shri Bir Singh and Station House Officer Srinivaspuri and a Constable The remaining 2/3 dacoits managed to run away by scaling the rear boundary wall of the house Shri Bir Singh was also instrumental in arresting the remaining dacoits within a record time of 3 days and also recovered the entire stolen property worth several Lakhs of rupees

In this incident Shri Bir Singh Sub Inspector of Police displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th November 1988

No 103 Pres 89 The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police —

Names and rank of officers

Shri Balbir Kumar Bawa,
Deputy Superintendent of Police
Talwandi Sabo,
Punjab

Shri Kulwant Singh,
Head Constable No 924 BTA
Bhatinda
Punjab

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th July 1988 on receipt of information about the presence of suspected terrorist in House No H-81, Civil Station, Bhatinda a Police party headed by Shri Balbir Kumar Bawa, Deputy Superintendent of Police, surrounded the said house at 6 00 P M Inspector Balbir Singh, Station House Officer, Police Station Rama who was a member of the party, positioned himself in front of the house and Shri Balbir Kumar Bawa, Deputy Superintendent of Police and Shri Kulwant Singh Head Constable took charge on the rear side of the house Having come to know about the presence of the Police party the suspected terrorist came out of the house from the rear door and fired on Shri Balbir Kumar Bawa and Shri Kulwant Singh with 9MM pistol injuring Shri Bawa on his right thigh and Shri Kulwant Singh on the hip and ran away The two injured officers chased the fleeing terrorist for about 200 metres The terrorist was continuously firing on both the Police officers and they returned the fire in self defence As a result of the firing from the police party the terrorist received bullet injuries and he fell down and died He was later identified as Baljit Singh son of Darbara Singh of village Bagha, Police Station Rama One 9MM pistol with magazine containing three rounds was also recovered from the dead terrorist

In this incident Shri Balbir Kumar Bawa Deputy Superintendent of Police and Shri Kulwant Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th July, 1988

No 104 Pres/89 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police —

Names and rank of officer

Shri Khinya Ram
Superintendent of Police
District Chandel,
Manipur

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 22nd March, 1989, at 0030 hours on receipt of information about the presence of insurgents at village Christian, District Chandel Shri Khinya Ram, Superintendent of Police, immediately organised a raiding party of 18 police personnel and proceeded to the spot to raid the hideout He divided the raiding party into three groups two of which were to cordon off the village and the third party headed by Shri Khinya Ram proceeded towards the house wher the suspected insurgents were hiding On reaching there, the police party found the house locked from inside Shri Khinya Ram deployed five police personnel to guard the house lest any one of the hiding insurgents escape and himself broke open the wooden door of the house to go inside While doing so, he was fired upon by the insurgents from inside the house He immediately positioned himself and fired back three shots from his revolver and silenced the fire and jumped inside the house Without caring for his personal safety, he grappled with the armed insurgent who was firing from inside the room, and succeeded in capturing and disarming the insurgent The captured insurgent was in wounded condition One foreign made loaded pistol with 3 live rounds and three fired cases were recovered from the spot The insurgent was rushed to hospital where he succumbed to his injuries The insurgent was later on identified as Phoring Anal alias Robert, a notorious hardcore Naga insurgent, who was involved in many heinous crimes like murder looting and kidnapping etc

In this encounter Shri Khinya Ram Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd March, 1989

No 105 Pres/89 —The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police —

Names and rank of officers

Shri S N More, (Posthumous)
Naik No 17087,
Greater Bombay
Maharashtra

Shri S V Rane,
Constable No 5075
Greater Bombay,
Maharashtra

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 9th January, 1988, at about 700 P M information was received that accused Nizam Kadri was hiding in village Nala Sopara District Thane A police party of Detection of Crime Branch, C I D, Bombay consisting of three Sub Inspectors one Head Constable Naik S N More and Constable S V Rane left in a police vehicle to arrest the accused The police party was in plain clothes and had taken with it two informers and one Sayyad Ismail, an accused from Police custody, to identify the accused

On reaching the village, at about 11 00 P M it was planned that Naik S N More and Constable S V Rane alongwith informers would proceed to the house on foot to be followed by two other members of the police party at a reasonable distance and the remaining police personnel would keep waiting at a little distance The informers were instructed to signal if the accused was available in the room of the Chawl

The informers knocked at the door and after confirming that the accused was inside they told that they had come with a message that accused's mother was seriously ill and he should accompany them to the Railway Station Suspecting danger of arrest, the accused, contrary to the expectation of the party suddenly came out of the room with a gupti in his hand and tried to attack one of the informers At this moment Naik More intervened, tried to catch hold of the accused and prevented him from attacking the informers The infuriated accused thereupon stabbed Naik More with gupti Seeing this, Constable Rane grappled with the accused but the accused stabbed him also and managed to escape taking advantage of darkness The whole incident took place within such a short time that the informers could not give

signal to other police personnel and they could not come for help. Inspite of their efforts to chase the accused, he dis-appeared in the nearby bushes in the darkness. Shri S. N. More and Shri S. V. Rane were immediately removed to the local Government dispensary and from there to Government Hospital at Bassein where Shri More died before any medical aid could be provided to him

In this incident Shri S. N. More, Naik and Shri S. V. Rane, Constable displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th January, 1988.

No. 1061Pres/89.—The President is pleased to award Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri J. S. Rawat,
Deputy Superintendent of Police,
12 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri P. G. Gawali,
Constable No. 831270328,
12 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd April, 1988, at about 1730 hours, Shri J. S. Rawat, Deputy Superintendent of Police decided to carry out checking of vehicles and suspected personnel in the rural areas. He, alongwith Constable P. G. Gawali, Constable/Driver P. Thangapandi and three other personnel left for checking. After checking village Kalke, the Police Party proceeded towards village Khilchian and on the way they spotted three Sikh youths standing near a farm house in suspecious circumstances. Shri Rawat directed the driver stop vehicle. As the Jeep slowed down, one of the Sikh youths pulled out AK-47 Chinese Assault Rifle and fired at the jeep. Reacting sharply to the situation, Shri Thangapandi drove the Jeep ahead and thus brought it out of the line of fire. Although the rear left portion of the jeep was hit and three bullets pierced through its body, but none of the occupants was injured. After firing, the terrorists ran behind the farm house towards the fields. Undeterred from the terrorist attack, Shri Rawat jumped out of the jeep and ordered the other personnel to follow him. The terrorists while fleeing kept on firing on the police party. After chasing the terrorists for about 500 yards without any success, Shri Rawat decided to change the strategy. He divided the party into two groups. One group led by a Lance Naik, alongwith Constable P. G. Gawali and Constable/Driver P. Thangapandi, was directed to rush from right flank and engage the terrorists. The second group led by Shri Rawat alongwith remaining personnel continued chasing the terrorists.

It was indeed a grave risk to go from the right side through the open fields as they could have easily fallen victim to terrorist's bullets any time. Unmindful of personal safety Shri Gawali and Shri Thangapandi alongwith his colleagues ran through the open fields from the right flank. On seeing them, the terrorists fired at them but fortunately none of them was hit. Shri Gawali and Shri Thangapandi crawled for about 100 yards and reached near the suspected hide-out of the terrorists. On seeing some movement in the wheat crop Shri Gawali and Shri Thangapandi simultaneously opened fire towards that direction. As a result, one of the terrorists was forced to rise from his hiding place. The terrorist immediately fired a burst towards Shri Rawat, but he escaped unhurt. Shri Rawat fired back on the terrorist and killed him on the spot. On seeing the terrorist falling, the other terrorist, who was also hiding near the dead terrorist, made a desperate attempt to take away AK-47 Chinese Assault Rifle of the dead terrorist, but Shri Gawali and Shri Thangapandi foiled his attempt by simultaneously firing on the terrorist. The terrorist was totally baffled and threw his Thompson carbine and a Bandolier and ran towards the thick orchard and escaped. The third terrorist also managed to escape. The dead terrorist was later identified as Sarwan Singh of Saidpur who was wanted in a number of murdered/dacoity cases.

In this encounter Shri J. S. Rawat, Deputy Superintendent of Police and Shri P. G. Gawali, constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd April, 1988.

No. 107-Pres. 89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri P. Thangapandi,
Constable/Driver No. 771150409,
12 Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd April, 1988, at about 1730 hours, Shri J. S. Rawat, Deputy Superintendent of Police decided to carry out checking of vehicles and suspected personnel in the rural areas. He, alongwith Constable P. G. Gawali, Constable/Driver P. Thangapandi and three other personnel left out for checking. After checking village Kalke, the Police Party proceeded towards village Khilchian and on the way they spotted three Sikh youths standing near a farm house in suspecious circumstances. Shri Rawat directed the driver stop vehicle. As the Jeep slowed down, one of the Sikh youths pulled out AK-47 Chinese Assault Rifle and fired at the jeep. Reacting sharply to the situation, Shri Thangapandi drove the Jeep ahead and thus brought it out of the line of fire. Although the rear left portion of the jeep was hit and three bullets pierced through its body, but none of the occupants was injured. After firing, the terrorists ran behind the farm house towards the fields. Undeterred from the terrorist attack, Shri Rawat jumped out of the jeep and ordered the other personnel to follow him. The terrorists while fleeing kept on firing on the police party. After chasing the terrorists for about 500 yards without any success, Shri Rawat decided to change the strategy. He divided the party into two groups. One group led by a Lance Naik, alongwith Constable P. G. Gawali and Constable/Driver P. Thangapandi, was directed to rush from right flank and engage the terrorists. The second group led by Shri Rawat alongwith remaining personnel continued chasing the terrorists.

It was indeed a grave risk to go from the right side through the open fields as they could have easily fallen victim to terrorist's bullets any time. Unmindful of personal safety Shri Gawali and Shri Thangapandi alongwith his colleagues ran through the open fields from the right flank. On seeing them, the terrorists fired at them but fortunately none of them was hit. Shri Gawali and Shri Thangapandi crawled for about 100 yards and reached near the suspected hide-out of the terrorists. On seeing some movement in the wheat crop Shri Gawali and Shri Thangapandi simultaneously opened fire towards that direction. As a result, one of the terrorists was forced to rise from his hiding place. The terrorist immediately fired a burst towards Shri Rawat, but he escaped unhurt. Shri Rawat fired back on the terrorist and killed him on the spot. On seeing the terrorist falling, the other terrorist, who was also hiding near the dead terrorist made a desperate attempt to take away AK-47 Chinese Assant Rifle of the dead terrorist, but Shri Gawali and Shri Thangandi foiled his attempt by simultaneously firing on the terrorist. The terrorist was totally baffled and threw his Thompson Carbine and a Bandolier and ran towards the thick orchard and espaced. The third terrorist also managed to escape. The dead terrorist was later identified as Sarwan Singh of Saidpur who was wanted in a number of murder/dacoity cases.

In this encounter, Shri P. Thangapandi, Constable/Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

The awards made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the ward of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd April, 1988.

No. 108-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and rank of the Officers

Shri K. C. Rajender,
Constable No. 85102666,
17 Battalion,
Border Security Force.

Shri Jagdish Narang,
Constable No. 86001952,
17 Battalion,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 1st May, 1988, at about 0430 hours, a party consisting of one Sub-Inspector, one Lance Naik, 7 Constables (including Shri Jagdish Narang and Shri K. C. Rajender, Constables) alongwith one Head Constable of Punjab Police and one Constable of BHG proceeded to village Muthianwala to raid the house of Bhagwant Singh, a listed harbourer.

When the raiding party reached the bundh near the house of Bhagwant Singh, the terrorists inside the house, were alerted by the lights and sound of the vehicles. The Police party, from a distance of about 300 yards, saw three extremists jumping over the rear wall of the house and running towards a nallah. The raiding party split into two groups of 4 and 6 and chased the extremists from either side of the house. Thereupon the extremists started firing but without caring for their personal safety the raiding party kept on chasing the extremists.

One of the extremists, took position on the other side of the nallah and started firing to keep to bay the raiding party. Constable Rajender and Constable Jagdish Narang, with utmost determination, continued their chase in the face of firing and managed to reach other side of the nallah. Constable Rajender fired on the extremists and one of them fell down and pretended as he was dead. But after some time he got up and again started running while firing on the police party. Thereupon Constables Rajender and Narang fired effectively on the fleeing extremists and succeeded in killing one and wounding the other extremist. The dead extremist was later identified as Mehtab Singh. In the meantime Bhagwant Singh and another extremist managed to escape.

In this encounter, Shri K. C. Rajender and Shri Jagdish Narang, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 1st May, 1988.

No. 109-Pres 89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of the Officer

(Posthumous)

Shri Mohinder Pal
Sweeper No. 88677340,
102 Battalion,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded

Shri Mohinder Pal, Sweeper of Border Security Force, was under posting from Sector Headquarters, Border Security Force, Ferozepur to 102 Battalion, Border Security Force, Bhikhiwind. On the 24th September, 1988, at about 1630 hours, Shri Mohinder Pal boarded a Punjab Roadways Bus from Amritsar. As the bus approached Chhicharwal culvert, it had slowed down due to drizzling. Suddenly five extremists with arms came on the road who had covered their faces with cloth. They signalled to stop the bus. Out of these five extremists, one was keeping a watch of the Chhabal area, one kept the barrel of his rifle on the right side of the body of the driver, one of them stood near the door of the bus and others entered from the front door of the bus and asked the non-sikh passenger to get down from the bus. Since Mohinder Pal was also a non-sikh passenger in the bus, he was also asked to get down from the bus by the extremists. Shri Mohinder Pal told them that he is a Border Security Force soldier and will not get down from the bus. The extremists then pressed Mohinder Pal to get down but he still hesitated to get down. While Mohinder Pal was being forced by the extremists to get down from the bus, he grabbed one of the extremists and caught hold of his rifle. In the scuffle with the extremists, Mohinder Pal was killed by the extremists.

While this was going-on, the bus driver started the bus and sped towards Bhikhiwind. Had Mohinder Pal not picked up a scuffle with the extremists, number of persons would have been killed by the extremists. In this way, Shri Mohinder Pal sacrificed his life to save the lives of other passengers.

In this incident, Shri Mohinder Pal, Sweeper displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th September, 1988.

No. 110-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Names and rank of the Officers

Shri Jagjit Singh,
Naik No. 68466129,
24 Battalion,
Border Security Force.

Shri Ajaib Singh,
L Nk. No. 71243048,
24 Battalion,
Border Security Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the 11th July, 1988 Commandant, 24 Battalion Border Security Force, got information that a few terrorists had been receiving shelter from two petrol pumps and a tea stall-cum-Dhaba near Tanda Urmur. On the intervening night of 11th/12th July, 1988, a special naka party, headed by Naik Jagjit Singh and Lance Naik Ajaib Singh, alongwith 5 other BSF personnel, laid a naka on G.T. Road connecting Jalandhar and Pathankot to intercept the terrorists.

At about 0210 hours (12th July, 1988), the naka party observed one bullock cart moving on the road. While Naik Jagjit Singh was verifying the antecedents of the driver and about the load in the bullock cart, he saw the suspicious movements of two persons who were trying to escape under the cover of bullock cart. Naik Jagjit Singh challenged the suspects and asked them to raise their hands and move forward for identification and on hearing an unusual reply, which created suspicion in the mind of Shri Jagjit Singh he ordered his colleagues to nab them. On hearing the order, both the suspects jumped into the broken ground from the road leaving behind a bundle. Shri Ajaib Singh went forward to catch them. As he reached near the fleeing terrorists, he was fired upon by them. He, however, escaped unhurt. On this Shri Jagjit Singh, without caring for his personal safety, charged at the extremists by firing at them. The criminals then started running towards the nearby paddy fields. Shri Jagjit Singh ordered Shri Ajaib Singh and his party to chase them, while he alongwith the remaining group ran on Railway track parallel to the paddy fields to encircle the criminals. When Shri Ajaib Singh and his party had almost closed in with the armed terrorists, they again fired at the chasing party. But the flash ligh tof the torch of Shri Ajaib Singh had blinded the criminals and hence their fire was not accurate. Immediately Shri Ajaib Singh and Shri Jagjit Singh fired upon the extremists killing one of them. The dead extremist was later identified as Sukhdev Singh alias Lagh Singh alias Sukha Sipahi, who was involved in a number of heinous crimes. However, the other extremist escaped under the cover darkness.

In this encounter Shri Jagjit Singh Naik and Shri Ajaib Singh Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th July 1988

No 111 Pres/89—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force —

Names and rank of the Officers

Shri Gulab Singh,
Sub Inspector (No 06100222)
1 t Battalion
Border Security Force

(Posthumous)

Shri Vijay Singh
Head Constable (No 660102942)
1st Battalion
Border Security Force

Shri Ram Soorat Singh,
Constable No 8616097
1st Battalion
Border Security Force

Shri Rajinder Pal
Constable No 79010004,
1st Battalion
Border Security Force

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 24th December 1987, at about 2000 hours information was received that some extremists were taking shelter in a farm house in village Sagarpura A special patrol party under the command of Sub Inspector Gulab Singh alongwith Head Constable Vijay Singh, Constable Ram Soorat Singh, Constable Rajinder Pal and 8 other personnel left for search and ambush operations On reaching there, the police party was divided into two groups One group was led by Head Constable Vijay Singh alongwith Constable Ram Soorat Singh and 4 other personnel The other group led by Sub-Inspector Gulab Singh, alongwith Constable Rajinder Pal and 4 other personnel, took the responsibility of search and flushing out the terrorists from the farm house

At about 2030 hours, when the parties were closing in to surround the farm house, an alarm was raised by one of the miscreants, presumably placed as guard by the terrorists. At this, the inmates of the farm house switched off the lights and started firing on the police parties Despite the odd Head Constable Vijay Singh moved forward with his men including Constable Ram Soorat singh and succeeded in surrounding the farm house But the cordoning party was greatly handicapped due to the presence of ladies and children inside the farm house Due to darkness the cordoning party had to take direction for retaliatory fire from the flash of terrorists fire As soon a Head Constable Vijay Singh moved across to take position at a vantage point in order to bring effective fire on terrorists to silence them he was hit by a bullet fired by the terrorists and died After the death of Head Constable Vijay Singh the responsibility of blocking of escape routes of terrorists fell upon Constable Ram Soorat Singh He crawled under heavy fire and succeeded in occupying a vantage position

When the first party cordoned the farm house Shri Gulab Singh alongwith Constable Rajinder Pal crawled under the rain of bullets and managed to enter one of the side rooms of farm house Shri Gulab Singh started search and moved from room to room Finding mounting pressure from both sides the terrorists had no option but to make a suicidal bid to escape While doing so, the dreaded terrorist and leader of the gang Avtar Singh Roopawali alongwith his harbourer Tara Singh were killed In the darkness Shri Gulab Singh saw a dark figure sneaking along the wall of the house He leaped forward swiftly and overpowered a person who turned out to be Kanwaljit Kaur wife of terrorist Avtar Singh Roopawali armed with 32 bore revolver.

In the encounter Shri Gulab Singh Sub Inspector Shri Vijay Singh Constable Shri Ram Soorat Singh Constable and Shri Rajinder Pal Constable displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th December, 1987

S NIRANJAN Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi the 11th December 1989

No A 11013/6/89 Adm I—The Committee on Financial Policy, set up vide Resolution of even number dated 26th April 1989 is hereby wound up with immediate effect

D DASGUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 1st December 1989

No U 13019/2/89-Gp —In partial modification of this Ministry's Notification No 13019/1/83 GPI dated 21 6 83, the President is pleased to decide that the Advisory Committee, associated with the Minister of Home Affairs for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli shall consist of —

(a) The Administrator of the UT

(b) The Mmber of the Parliament representing the UT

(c) All Counsellors of UT of Dadra & Nagar Haveli.

(d) Four Non-Official Members, to be elected by the Pradesh Council (atleast two of such members would be from ST Community)

(e) One woman member to be nominated if no woman member is represented in the HMAC as per item (d)

2 Other terms and conditions for the HMAC remains unaltered

PARKASH CHANDER, Director

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 7th December 1989

No DOD6/7/88-Hindi —In pursuance of a suggestion made in the meeting of the Joint Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Science and Technology and Department of Ocean Development the Govt of India in the Department of Ocean Development have decided to introduce a scheme for awarding writers with cash prizes to encourage them to write original books in Hindi on the oceanography and allied subjects concerning the Department The main features of the scheme are as under —

1 Name of the scheme

The scheme will be called The Department of Ocean Development Award Scheme'

2. Objectives of the scheme

The Scheme aims at promoting writing of original books in Hindi on the oceanography and allied subjects The subjects relating to the Ocean Science identified for the purpose are given below —

(1) The living and non-living resources of the ocean,

(2) The polymetallic nodules from deep sea bed;

(3) The Antarctica research

(4) The marine environment—control of pollution

(5) Harnessing of wave energy and the ocean thermal power conversion;

(6) Any other discipline pertaining to the Ocean Science.

3. Value of the award :

The following prizes will be awarded for original works in Hindi under the scheme :

First Prize	..	Rs. 15,000/-
Second Prize	..	Rs. 10,000/-
Third Prize	..	Rs. 5,000/-

4. Salient features :

4.1. The scheme will be run by the Deptt. of Ocean Development.

4.2. The prizes will commence from 1989 and will be awarded every calendar year. The Department of Ocean Development will invite applications for award of prizes from the authors through the publication of advertisements in leading Hindi and English newspapers.

4.3. The authors will submit their applications on the prescribed forms duly filled in and send them to the Joint Secretary (Administration), Deptt. of Ocean Development Mahasagar Bhawan, Block-12, Kendriya Karyalaya Parisar, Lodi Road, New Delhi-110003. They will also submit the requisite number of copies of their manuscripts/published works alongwith their applications.

5. Eligibility for participation in the scheme.

5.1. The scheme is open to the Indian citizens only except those employed in Department of Ocean Development.

5.2. Both published works and manuscripts will be considered under the scheme.

5.3 The textbooks, i.e. the books prepared especially for class-room instructions and books intended for children will not be eligible for competition under the scheme.

5.4. The authors of the books entered for the competition will be entitled to copy right of their books.

5.5. The entries submitted on earlier occasions for this competition will not be admissible. The authors will be submitting copies of their published works or legibly typed manuscripts thereof. The illegibly typed copies of the manuscripts are likely to be rejected.

5.6. The Deptt. of Ocean Development will have the sole right of selection of books for the award and formulation of rules governing such selection.

5.7. The original works will be required to have been published within the preceding three years including the year of the award.

5.8. The manuscripts will be awarded under the competition scheme only if these are accompanied by a written undertaking from the author that in case his manuscript is selected for a prize, it will be published within six months of the declaration of the result. The amount of prize in such cases will be given to the author after the publication of the manuscript.

5.9. The books once awarded a prize under any other scheme run by the Government of India or a State Government or Administration of the Union Territory shall be ineligible for entry under this scheme.

5.10. Any author may submit not more than one entry in each category under the scheme.

6. General terms and conditions.

6.1. If there are more than one authors of any prize winning entry, the amount of award shall be equally divided and distributed amongst the authors.

6.2. If during any year, the evaluation committee do not find any published work/manuscript suitable for the award, they can withhold the award at their discretion.

6.3. No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prize(s) or the procedure regarding the selection of books for the award.

6.4. The prizes will be awarded evry calendar year and if suitable books are not avialable for any calendar year, no prize will be awarded during that year.

7. Evaluation Committee :

7.1. There will be an Evaluation Committee for selecting the books/manuscripts for award of prizes.

7.2. The Evaluation Committee shall consist of five members including the Chairman. The additional members may be co-opted if considered necessary.

7.3. The Chiarman and the members of the Evaluation Committee will be appointed by the Secretary of the Department of Ocean Development. The Chairman of the Evaluation Committee, where necessary. may associate with the Committee, the experts in the respective disciplines. The capacity of the experts so associated will only be advisory.

7.4. If any member of the Evaluation Committee wishes to participate in the prize scheme, he will cease to be a member of the Evaluation Committee for that particular year. The decision taken by the Evaluation Committee shall be final and binding in all respects and no appeal thereof shall lie to any authority.

7.5. The term of the committee will be for a period of three years from the date of its constitution. Honorarium, as may be fixed shall be paid to each member including the Chiarman of the Evaluation Committee for the work of evaluation undertaken by him.

7.6. Non-official members of the Evaluation Committee will be entitled to TA/DA, as admissible under the rules.

8. Other conditions :

Original Hindi books will mean the following.

8.1. Which have been written originally in Hindi by the competitor/author;

8.2. Which should not be a Hindi translation rendered by the competitor of any books or author written in some other language;

8.3. Which should not be a Hindi version of any books written in any other language by the competitor himself or by some professional translator;

8.4. Which should have not been written by the competitor in Hindi or in any other language in his official capacity or as a part of his official work;

8.5. Which should not be a Hindi translation of any book translated either by the competitor himself or by some professional translator, which has been written by the author either in English or in any other Indian language in his official capacity or as a part of his official work;

8.6. Which should not be an exhaustive/abridged version or summary prepared by the author or by any other person which the author has got written/published in English or in any other language in his official capacity or as a part of his official duties; and

8.7. Which should not be any book written under either any governmental contract or under any governmental scheme.

9. Right to modify the scheme;

The Department of Ocean Development will have right to modify this scheme.

ORDER

ORDERED that a copy each of this resolution be sent to all State Governments, all the Ministries and Departments of the Government of India, all the Universities of India and News agencies.

ORDERED also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. SUDHIR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 6th January 1990

No. 10/10/89-CS. II.—The rules for a Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training in 1990 for the purpose of filling temperary vacancies in the following services/posts (and for such other services/posts as may be included by the Commission in their advertisement inviting applications for the Examination) are published for general information :—

(i) Railway Board Secretariat Stenographers' Service-Grade 'D'.

(ii) Central Secretariat Stenograpers' Service-Grade 'D'.

(iii) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service-Grade 'D'.

(iv) Grade III of Stenographers' Cadre of IFS 'B'.

(v) Central Vigilance Commission.

(vi) Any other Department/Office, not mentioned above.

Preference in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidates at the time of submitting their applications. A candidate may however, change the order of preferences once before the date of the written examination.

2. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates who are Ex-servicemen, Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Physically Handicapped (Orthopaedically Handicapped and partially Blind) in respect of vacancies as may be fixed by the Governmet in accordance with the instructions.

(i) Ex-serviceman fulfilling the conditions laid down by the Govt. from time to time shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed prescribed age limit by more than three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

"An 'ex-deservicomen' means a person, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and

(i) who retired from such service after earning his/her pension; or

(ii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or ohter disability pension; or

(iii) who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment; or

(iv) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories; namely :—

(i) pension holders for continuous embodies service;

(ii) persons with disability attributable to military service; and

(iii) "Gallantry award Winners."

NOTE-I.—Ex-servicemen who have already joined Government job in civil side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment are not eligible to the age concession.

NOTE-II.—The period of 'Call up Service' of an ex-serviceman in the Armed Forces' shall also be treated as service concerned in the Armed Forces for purpose of para 3(1) above

NOTE-III.—For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the post/service, the status of Ex-serviceman and/or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would be discharged from the Armed Forces *within the stipulated period of one year on completion of his assignment* (The date of the examinaton is not relevant for this purpose).

3. (ii) The Orthopaedically Handicapped and Phisically Blind (as mentioned in para (3) will be as defined by Government from time to time. No scribe will be allowed to Orthopaedically Handicapped persons.

NOTE.—A SEPARATE EXAMINATION MAY BE HELD FOR PARTIALLY BLIND CANDIDATES.

(iii) Scheduled Castes/Scheduled Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970; and the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; the Constitution (Adaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste Order, 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Tribe Order, 1968; the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order(1978; and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

4 (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwai, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently setting in India.

Provided that a candidate belonging to Categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (b) Grade-III of the Stenographers cadre).

2. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Examination but the offer a appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (A) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1-1-1990 i.e. he must have not been born not earlier than 2nd January 1965 and not later than 1st January, 1972.

(B) the upper age limit will be relaxable upto the age of 40 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Stenotypists/Hindi clerks/Hindi typists in various Departments/Offices of the Government of India participating in the Central Secretariat Stenographers Service and have rendered not less than 2 years conitnuous service as Stenographers (including language stenographers)/Clerks/Steno-typists/Hindi clerk/Hindi typists on 1st January, 1990 and continue to be so employed

(C) The upper age limit in all the above cases will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971.

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from the erstwhile West Pakistan (now Pakistan) who migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973.

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide displaced person from the erstwhile West Pakistan (now Pakistan) who migrated to India during the period from 1st January 1971 to 31st March, 1973.

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate or a prespective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 and or to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Mulawi, Zaire and Ethiopia.

(ix) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of India origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(x) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Scheduled Tribe and is a bonafide repatriate of India origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(xi) upto a maximum of three years in the case of Defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiv) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport Holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is physically handicapped person, i.e. Orthopaedically handicapped;

(xvii) upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands, who are not remarried;

(xviii) upper age limit is relaxable upto a maximum of six years for those persons who have ordinarily resided in the state of Assam, during the period from 1st January, 1980 to 15th August, 1985. This is subject to the production of certificate from (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he/she ordinarily resided or (b) any other authority designated in this behalf by the Govt. of Assam.

(xix) upper age limit is relaxable upto the age of 40 years (45 years for SC/ST candidates) as on 1-1-1990 to the Departmental candidates who have rendered not less than 3 years continuous service as on 5-2-1990 provided they are working in posts which are in the same line or allied cadres and where a relationship could be established that service rendered in the Department will be useful for efficient discharge of the duties in the other categories of posts in accordance with the Department of Personnel and Administrative Reforms O.M No. 4/4/74-Estt. (D) dated 20th July, 1976 and 35014/4/79-Estt. (D), dated 24-10-1985 and 15012/1/88-Estt (D) dated 20th May, 88 upto a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers;

(xx) including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1990 and have been released :—

(i) on completion of assignment (including those whose asignment is due to be completed within six months from 1st January, 1990 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or

(ii) on account of physical disability attributable to Military Service; or

(iii) on invalidment.

(xxi) upto a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1990 and have been released :—

(i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1990 otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct, or inefficiency; or

(ii) on account of physical disability attributable to Military Service; or

(iii) on invalidment.

(xxii) upto a maximum of five years in case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment five years of Military Service as on 1st January 1990 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for Civil Employment and they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

(xxiii) upto a maximum of ten years in case of ECOs/SSCOs who have completed an initial period of assignment of five years of Military Service as on 1st January, 1990 and whose assignment has been extended beyond five years and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that

they can apply for Civil employment and that they will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

Note :—Ex-Servicemen who already joined Govt. job on the civil side after availing of the benefits given to them as ex-serviceman for their re-employment, are not eligible to the age concession under rule 5(C) (xx) and 5(C) (xxi) above

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED. AGE CONCESSION IS NOT ADMISSIBLE TO THE 'SONS, DAUGHTERS AND DEPESDENTS OF EX-SERVICEMEN' AND TO PERSONS BELONGING TO 'BACKWARD CLASSES'.

N.B. (i) : The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(B) above is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

N.B. (ii) : A Stenographer (including language Stenographer/Clerk/Steno-Typist, Hindi Clerks/Hindi Typist) who is on deputation to an ex-cadre post with the approval) of the competent authority, or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation certificate for entry into service.

NOTE 1 : A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination

NOTE 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justifies his admission to the examination.

7. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a persons having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into a contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a "No Objection Certificate" from his office before being allowed to take the Shorthand Test

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined

NOTE :—In the case of disabled ex-Defence Service Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's Notice, must pay the fee prescribed in the Commission's Notice

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify his for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including, obscene language or pornographic matter in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government

Selection of candidates :

15. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination for appointment as English Stenographers or Hindi Stenographers as the case may be, shall be recommended for appointment upto the number of unreaserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to be preferences expressed by a candidate to various services/posts at the time of his application.

Provided that, candidates belonging to the Physically Handicapped categories or Ex-Servicemen may, to the extent the number of vacancies reserved for them cannot be filled on the basis of general standards, be recommended at relaxed standards to make up for the deficiency in the reserved quota subject to fitness of such candidates for selection irrespective of their ranks in the order of merit.

Provided that the SC & ST candidates who are selected on their own merit without relaxed standards alongwith candidates belonging to other communities, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the eligible Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates which will thus comprise Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates who are lower in merit than the last candidate on the merit list but otherwise found suitable for appointment even by relaxed standards, if necessary

Privided further that Ex-Servicemen and Physically Handicapped persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Physically Handicapped category may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Physically Handicapped cannot be filled on the basis of general standard, be recommended by the Commission by relaxed standard to make up for the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for Ex-Servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidate shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

17. Success in the examination shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.

18. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix-II.

DR. RAVINDRA SINGH
Under Secy

APPENDIX I

Scheme of Examination : The Examination will consist of two parts, viz.

PART-I : Written Examination.

PART-II : Stenography Test.

PART I : Written Examination : The subjects of the examination, the time allowed, the maximum for each subject and the syllabus and standard will be as follows :

Subject	*Maximum Marks*	*Time Allowed*
(i) Language Test	100	200 2 hours
(ii) General Knowledge	100	

There will be a single paper for both the subjects of 'Objective Multiple-Choice-Type' questions. Candidates will be required to qualify in each of the two subjects separately. The Commission will have full discretion to fix the minimum qualifying marks in either or both the subjects would be eligible to be considered for being called for the Shorthand Test.

Standard and Syllabus : The standard of the question papers will be approximately that of the Matriculation Examination of an Indian University.

Language Test : (*Hindi/English*) : Questions in this test will be set to assess the knowledge of Hindi/English Language, its vocabulary, Grammer, Sentence Structure, Synonyms and Anonyms, etc. There will also be questions on Comprehension of passages.

General Awareness : Questions will be designed to test the ability of the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matter of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The Test will also include questions relating to India & Its neighbouring countries especially pertaining to History, Culture, Geography Economic Set General Policy and Scientific Research.

PART-II

300 marks

(FOR THOSE WHOSE SHORT HAND TEST HINDI OR IN ENGLISH QUALITY AT THE WRITTEN TEST)

The details about the shorthand test will be as follows

Scheme of Shorthand Test :

The candidate will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes, and the candidate who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter or in 75 minutes.

1. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. Candidates who opt to take the Shorthand test in Hindi will be required to learn English Stenography and viceversa, after their appointment.

APPENDIX-II

Brief particulars relating to the service/posts to which recruitment is being made through the examination :—

A. The Central Secretariat Stenographers' Service.

1. The Central Secretariat Stenographers' Service has at present the following grades :—

Grade 'A' & 'B' (merged) : Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

Grade 'C' : Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

Grade 'D' : Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

The question of constituting a new cadre in the scale of Rs. 3000-100-3500-EB-125-4500 is under consideration of the Government.

2. Persons recruited to Grade 'D' for the service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of the Government has been unstatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons, recruited to Grade 'D' of the Service will be posted to one of the Ministries or offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

5. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf

B. The Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present the following grades :

Grade 'A' : The unified grade of

Grade 'B' : Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

Grade 'C' : Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

Grade 'D' : Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

(ii) Persons recruited to Grade 'C' of the service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct, in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(iii) Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' service is confined to the Ministry of Railways and staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory state Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the Privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi

C. *Indian Foreign Service(B)—Grade III of the Stenographers Cadre*

The stenographers cadre of the IFS 'B' has at present grades as follows :—

Selection Grade/Grade-I :

Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

Grade-II :

Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

Grade-III :

Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

2. Persons recruited to Grade III of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct of any of them, in the opinion of the Government has been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service(B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

4. During service abroad IFS(B) officers, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Return air passage to India and back to the place of duty abroad upto a maximum of two throughout the officer's service for emergencies such as the death or serious illness of any immediate relation in India as may be defined by the Government.

(iv) Annual return air passage for children between the age of 6 and 22 studying in India to visit their parents during vocation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditons;

(vi) Outfit allowance for posting abroad as per existing instructions.

(vii) Home Leave Passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers Service* :—

As per the existing position there are 4 grades in AFHQ Stenographers Service with the methods of filling the posts as under :—

Grade	Pay Scale	Method
Stenographer Grade 'A'	Rs. 650-1200 Revised as 2000-3500	By promotion of Gd. 'B' Stenographer.
Stanographers Grade 'B'	Rs. 650-1040 Revised as Rs. 2000-3500	50% by promotion of Grade 'C' Stenographers. 50% by promotion of Grade 'C, Stenographers on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.
Stenographers Grade 'C'	Rs. 425-800 Revised as Rs. 1400-2600.	25% by promotion of Grade 'D' Stenographers. 25% by promotion of grade 'D, Stenographers on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.
Stenographers Grade 'D'	Rs. 330-560 Revised as Rs. 1200-2040.	Through Limited Departmental competitive Examination Limited to the members of the AFHQ Clerical Services held by the S. S. C. failing which by the method decided by the Government.

NOTE : The Govt. on the recommendations of the 4th Pay Commission, has merged steno Grade 'A' and Steno Grade 'B' together in the revised pay Scale of Rs. 2000-3500 and further created posts of Stenographers in the pay scale of Rs. 2000-3500 Review of AFHQ Stenographers Service is also under considerattion.

2. Persons recruited to Grade 'D' of Armed Forces Headquarters Stenographers Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment if his work or conduct in the opinion of the Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons, recruited to Grade 'D' of the Service will be posted to one of the office of Armed Forces Headquarters/ Inter Service Organisations under the Ministry of Defence located in Delhi/New Delhi and participants in the Armed Forces Headquarters Stenographers Service Scheme. They, however, carry the liability to serve anywhere in India.

5. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th November 1989

RESOLUTION

No. 312/16/89-F(P).—In Supersession of this Ministry's Resolution No 314/3/86-F(P) dated 10-2-87 and letter No. 301/10/85-F(P) dated 6-6-1986, the Documentary Film Purchase Committee, the Pricing Committee and the Tender Committee of the Films Division are reconstituted with immediate effect as follows :—

2 *Documentary Film Purchase Committee* :

Official Members (Seven)

Chairman

(i) Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting.

Members

(ii) Chief Producer, Films Division.

(iii) Director General, Doordarshan or his nominee.

(iv) Director (Admn.) Films Division.

(v) General Manager, National Film Development Corporation.

(vi) Deputy Secretary (Films), Ministry of I&B.

(vii) Internal Financial Adviser, Films Division.

Non-Official Members (Six)

(Chairman of the Purchase Committee will co-opt any six members out of the under-mentioned 11 Non-Official Members at the meetings of the Committee to assist in the Committee's deliberations).

(i) Shri M. V. Krishnaswamy, Bangalore

(ii) Shri G. Aravindan, Trivandrum.

(iii) Shri Nishith Banerjee, Calcutta.

(iv) Shri Bijoy Chatterjee, Calcutta.

(v) Shi Bhupen Hazarika, Calcutta.

(vi) Dr Jabbar Patel, Bombay.

(vii) Shri Girish Karnad, Bombay.

(viii) Shri Shyam Benegal, Bombay.

(xi) Shri Prakash Jha, Bombay.

(x) Shri N. V. K. Murthy, Pune.

(xi) Dr. (Smt.) Saryu Doshi, Bombay.

3. The Committee will examine all proposals received from time to time by the Films Division for purchase of documentary films from independent producers and other agencies or offers of donation of documentary films from independent producers The Committee will consider all such proposals on the basis of quality, suitability for general publicity release and such other relevant criteria and advise whether the films in question should be acquired by the Films Division or not. The Committee may also consider matters of general nature concerning purchase of documentary films and tender its advice to the Films Division.

4. The recommendations of the Committee shall be in accordance with the view of the majority subject to the condition that at least one of the official members is also of the majority view. The recommendations of the Committee will normally be accepted by the Films Division. The Committee will meet as and when necessary. Secretariat assistance to the Committee will be provided by the Films Division.

5. (a) The official members of the Committee will continue to be the members of the Committee by virtue of the office held by them. The normal tenure of non-official members will be two years or until replaced by the Government during or after the nomal tenure.

(b) In the absence of non-official members for any reason, the proposals will be considered and recommendations made by the official members of the Committee.

(c) The non-official members will function in an honorary capacity but will be eligible to travelling allowance and other allowances admissible under the Rules. The grant of TA and DA to the non-official members will be regulated in accordance with the provision of S.R. 190 and orders issued thereunder by the Government of India from time to tme. The official members of the Committee will draw their TA and DA as admissible to them under the rules applicable to them from the source from which their pay is drawn.

6. An appeal against the recommendation made by the Committee and accepted by the Films Division can be made to the Secretary, Ministry of Information & Broadcasting within 30 days from the date of communication of such a decision. The decision of the Ministry of Information & Broadcasting in such cases shall be final.

7. *Pricing Committee* :

Chairman

(i) Joint Secretary (Films), Min of I&B.

Members

(ii) Chief Producer, Films Division.

(iii) Director (Finance), Min. of I&B.

(iv) Internal Financial Adviser, Films Division.

The Committee will determine the purchase price for all documentary films to be acquired by Films Division whether on recommendations of Documentary Films Purchase Committee or the orders of the Government. The Committee will also determine the purchase price for prints of films for Directorate of Field Publicity as and when requested by Directorate of Field Publicity

8. *Tender Committee* :

Official Members (Eight)

Chairman

(i) Joint Secretary (Films), Min. of I&B

Members

(ii) Chief Producer, Films Division.

(iii) Deputy Secretary (Films), Min. of I&B.

(iv) Dy. Chief Producer, Films Division.

(v) Producer (Outside Production).

(vi) Internal Financial Adviser, Films Division

(vii) Dy. Director (Costs), Films Division.

(viii) Asstt. Administrative Officer (concerned).

Non-Official Members (Two)

(Chairman of the Tender Committee will co-opt any two of the under-mentioned six non-official members at the meetings of the Tender Committee for scrutinising the tenders and assigning films for production)

(i) Shri N. V. K. Murthy.

(ii) Shri K. L. Khandpur.

(iii) Shri G. D. Agarwal.

(vi) Shri Siddharth Kak.

(v) Shri Fali Bilimoria.

(vi) Dr. Mukesh Batra.

9. The invitations calling for tenders/quotations from outside producers shall be issued by Films Division after prior approval of Joint Secretary (Films).

10. The Headquarters of all the three Committees will be Bombay

11. In case the Chairman is unable to attend any meetings of any of the afore-mentioned committees, his representative duly authorised by him will attend the said meetings. In such an event the meeting/meetings will be conducted by the Chief Producer, Films Division. The proceedings of the meeting/meetings will be sent by Chief Producer, Films Division to Joint Secretary (Films) for his information

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Presidents Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for geeral information.

S. S. SHARMA Dy Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989